



स्टेट बैंक समूह का समेकित
वित्तीय विवरण

**Consolidated Financial Statements
of State Bank Group**





भारतीय स्टेट बैंक का 31 मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलनपत्र
STATE BANK OF INDIA (CONSOLIDATED) BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2008 (000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

पूंजी और देयताएँ	अनुसूची सं.	31.3.2008 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31.3.2007 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
CAPITAL AND LIABILITIES	Schedule No.	As on 31.3.2008 (Current Year)	As on 31.3.2007 (Previous Year)
		रु. Rs	रु. Rs
पूंजी Capital	1	631,47,04	526,29,89
आरक्षितियाँ और अधिशेष Reserves & Surplus	2	60604,91,23	42009,35,06
अल्पांश हित Minority Interest	2A	2028,12,09	1689,93,52
जमा राशियाँ Deposits	3	776416,51,88	636272,87,69
उधार Borrowings	4	66023,17,07	48661,83,09
अन्य देयताएँ और उपबंध Other Liabilities and Provisions	5	121565,32,52	86014,11,83
	योग TOTAL	1027269,51,83	815174,41,08
आस्तियाँ	अनुसूची सं.	31.3.2008 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31.3.2007 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
ASSETS	Schedule No.	As on 31.3.2008 (Current Year)	As on 31.3.2007 (Previous Year)
		रु. Rs.	रु. Rs.
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और अतिशेष Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	74817,25,54	45066,10,13
बैंकों में अतिशेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन Balances with banks and money at call and short notice	7	14211,16,16	27410,76,24
विनिधान Investments	8	273841,72,43	216521,04,86
अग्रिम Advances	9	603221,94,04	487285,96,48
अचल आस्तियाँ Fixed Assets	10	4662,78,97	3999,37,52
अन्य आस्तियाँ Other Assets	11	56514,64,69	34891,15,85
	योग TOTAL	1027269,51,83	815174,41,08
समाश्रित देयताएँ Contingent Liabilities	12	945770,20,75	611733,49,55
संग्रहण के लिए बिल Bills for Collection		25225,90,75	28337,53,69





अनुसूची 1 — पूंजी SCHEDULE 1 — CAPITAL

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2008 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2008 (current year)		31.3.2007 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2007 (previous year)	
	रु. Rs.		रु. Rs.	
प्राधिकृत पूंजी - 10/- रुपए प्रति शेयर वाले 100,00,00,000 शेयर Authorised Capital - 100,00,00,000 shares of Rs.10/- each	1000,00,00		1000,00,00	
निर्गमित - 63,15,58,654 (पिछले वर्ष 52,62,98,878) प्रत्येक इक्विटी शेयर रु. 10/- का Issued - 63,15,58,654 (Previous year 52,62,98,878) Equity Shares of Rs. 10/- each	631,55,87		526,29,89	
अभिदत्त और संदत्त पूंजी - 63,14,70,376 शेयर (पिछले वर्ष 52,62,98,878) प्रत्येक शेयर रु. 10/- का [इसमें 4,24,81,772 (31.03.2007 को 4,14,54,618) शेयर सम्मिलित हैं जो 2,12,40,886 (31.03.2007 को 20,727,309) वैश्विक जमा रसीदों के रूप में हैं]. Subscribed and Paid-up Capital-631470376 (previous year 526298878) shares of Rs 10/- each [includes 4,24,81,772 (4,14,54,618 as on 31.03.007) shares represented by 2,12,40,886 (20,727,309 as on 31.03.2007) Global Depository Receipts].	631,47,04		526,29,89	
योग / TOTAL	631,47,04		526,29,89	

अनुसूची 2 — आरक्षितियाँ और अधिशेष SCHEDULE 2 — RESERVES & SURPLUS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2008 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2008 (Current Year)		31.3.2007 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2007 (Previous Year)	
	रु. Rs.		रु. Rs.	
I. कानूनी आरक्षितियाँ Statutory Reserves				
अधिशेष				
Opening Balance	...	24708,88,63	...	20702,60,19
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	...	5573,43,78	...	4006,28,44
वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	...	—	...	—
		30282,32,41		24708,88,63
II. पूंजी आरक्षितियाँ Capital Reserves #				
अधिशेष				
Opening Balance	...	794,94,99	...	777,72,38
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	...	11,25,68	...	17,22,61
वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	...	—	...	—
		806,20,67		794,94,99
III. शेयर प्रीमियम Share Premium				
अधिशेष				
Opening Balance	...	3510,57,33	...	3510,57,33
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	...	16617,09,67	...	—
वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	...	28,70,25	...	—
		20098,96,75		3510,57,33

समेकन पर 173,29,00 हजार रुपए (पिछले वर्ष 173,29,00 हजार रुपए) पूंजी आरक्षितियाँ शामिल हैं।

includes Capital Reserve on Consolidation Rs. 173,29,00 thousand (Previous Year Rs. 173,29,00 thousand)



अनुसूची 2 — आरक्षितियाँ और अधिशेष (जारी)
SCHEDULE 2 — RESERVES & SURPLUS (Contd.)
(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2008 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2008 (Current Year)		31.3.2007 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2007 (Previous Year)	
	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.
IV. निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षितियाँ Investment Fluctuation Reserve				
अथशेष Opening Balance	—		59,00	
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	—		—	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	—	—	59,00	—
V. निवेश आरक्षितियाँ Investment Reserve				
अथशेष Opening Balance	—		—	
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	62,17,87		—	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	—	62,17,87	—	—
VI. विनिमय मुद्रा उतार चढ़ाव आरक्षितियाँ Forex Translation Reserve				
अथशेष Opening Balance	317,83,95		356,61,83	
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	—		—	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	101,13,57	216,70,38	38,77,88	317,83,95
VII. राजस्व और अन्य आरक्षितियाँ Revenue and Other Reserves				
अथशेष Opening Balance	12558,08,41		10945,92,45	
वर्ष के दौरान परिवर्धन## Additions during the year##	1772,36,55		1621,28,54	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	5279,66,00	9050,78,96	9,12,58	12558,08,41
VIII. लाभ और हानि खाते में शेष Balance in Profit and Loss Account		87,74,19		119,01,75
योग TOTAL		60604,91,23		42009,35,06

समेकन समायोजनों को घटाकर

net of consolidation adjustments

अनुसूची 2 क — अल्पांश हित
SCHEDULE 2A — MINORITY INTEREST
(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2008 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2008 (Current Year)		31.3.2007 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2007 (Previous Year)	
	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.
शेयर पूंजी Share Capital	687,10,51		447,73,93	
आरक्षितियाँ एवं अधिशेष Reserves & Surplus	1341,01,58		1242,19,59	
योग TOTAL		2028,12,09		1689,93,52


अनुसूची 3 — निक्षेप
SCHEDULE 3 — DEPOSITS
(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2008 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2008 (Current Year)	31.3.2007 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2007 (Previous Year)
	रु. Rs.	रु. Rs.
क. I. मांग निक्षेप		
A. I. Demand Deposits		
(i) बैंकों से From Banks	14451,43,01	12408,24,53
(ii) अन्य से From Others	105165,34,89	86608,54,71
II. बचत बैंक निक्षेप Savings Bank Deposits	205393,41,81	172608,45,67
III. सावधि निक्षेप Term Deposits		
(i) बैंकों से From Banks	7098,89,20	5387,07,37
(ii) अन्य से From Others	444307,42,97	359260,55,41
योग TOTAL	776416,51,88	636272,87,69
ख. (i) भारत स्थित शाखाओं के निक्षेप B. Deposits of Branches in India	748246,84,74	617282,01,72
(ii) भारत के बाहर स्थित शाखाओं के निक्षेप Deposits of Branches outside India...	28169,67,14	18990,85,97

अनुसूची 4 — उधार
SCHEDULE 4 — BORROWINGS
(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2008 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2008 (Current Year)	31.3.2007 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2007 (Previous Year)
	रु. Rs.	रु. Rs.
I. भारत में उधार Borrowings in India		
(i) भारतीय रिज़र्व बैंक Reserve Bank of India	2127,00,00	2454,90,00
(ii) अन्य बैंक Other Banks	10829,61,15	1780,27,46
(iii) अन्य संस्थाएँ और अभिकरण Other Institutions and Agencies	10077,35,71	8069,09,86
II. भारत के बाहर से उधार Borrowings outside India	42989,20,21	36357,55,77
योग TOTAL (I और II)	66023,17,07	48661,83,09
ऊपर I और II में सम्मिलित प्रतिभूत उधार Secured Borrowings included in I & II above	4824,41,65	6470,20,15



अनुसूची 5 — अन्य दायित्व और उपबंध

SCHEDULE 5 — OTHER LIABILITIES & PROVISIONS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

					31.3.2008 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2008 (Current Year)	31.3.2007 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2007 (Previous Year)
					रु. Rs.	रु. Rs.
I. संदेय बिल Bills payable	24853,42,06	24884,02,65
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-Office adjustments (net)	921,17,93	1422,73,08
III. प्रोद्भूत ब्याज Interest accrued	7458,37,56	6019,85,44
IV. गौण बांड/ऋण Bonds - Tier I	3694,50,00	1972,40,00
गौण बांड/ऋण Subordinated Bonds - Upper Tier II	17592,36,79	8756,34,72
गौण बांड/ऋण Subordinated Bonds - Tier II	10383,00,00	11467,29,70
V. आस्थगित कर दायित्व Deferred Tax Liabilities	11,98	526,04,58
VI. अन्य (इसमें उपबंध सम्मिलित हैं) Others (including provisions)	56662,36,20	30965,41,66
				योग TOTAL	121565,32,52	86014,11,83

अनुसूची 6 — भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और अतिशेष

SCHEDULE 6 — CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

					31.3.2008 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2008 (Current Year)	31.3.2007 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2007 (Previous Year)
					रु. Rs.	रु. Rs.
I. हाथ नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट तथा सोना सम्मिलित हैं) Cash in hand (including foreign currency notes and gold)	3791,06,09	3147,25,02
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में अतिशेष Balances with Reserve Bank of India						
(i) चालू खाते में In Current Account	43612,49,34	41918,85,11
(ii) अन्य खातों में In Other Accounts	27413,70,11	—
				योग TOTAL	74817,25,54	45066,10,13



अनुसूची 7 — बैंकों में अतिशेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन
SCHEDULE 7 — BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL & SHORT NOTICE

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2008 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2008 (Current Year)	31.3.2007 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2007 (Previous Year)
	रु. Rs.	रु. Rs.
I. भारत में		
In India		
(i) बैंकों में अतिशेष Balances with banks		
(क) चालू खाते में		
(a) In Current Account	974,74,30	941,89,39
(ख) अन्य जमा खातों में		
(b) In Other Deposit Accounts	2738,21,61	1026,78,07
(ii) मांग पर और अल्प सूचना पर प्राप्य धन Money at call and short notice		
(क) बैंकों में		
(a) With banks	4075,14,95	7354,27,33
(ख) अन्य संस्थाओं में		
(b) With Other Institutions	...	567,15,02
	योग	
	TOTAL	
	7788,10,86	9890,09,81
II. भारत के बाहर		
Outside India		
(i) चालू खाते में		
In Current Account	2141,02,42	2540,84,36
(ii) अन्य जमा खातों में		
In Other Deposit Accounts	930,96,32	3815,38,79
(iii) मांग पर और अल्प सूचना पर प्राप्य धन Money at call and short notice		
	3351,06,56	11164,43,28
	योग	
	TOTAL	
	6423,05,30	17520,66,43
	कुल योग	
	GRAND TOTAL	
	(I और II)	
	14211,16,16	27410,76,24





अनुसूची 8 — विनिधान SCHEDULE 8 — INVESTMENTS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2008 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2008 (Current Year)	31.3.2007 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2007 (Previous Year)
	₹. Rs.	₹. Rs.
I. भारत में विनिधान Investments in India in		
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ Government Securities	211357,91,30	178755,65,17
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities	3962,23,98	4386,54,90
(iii) शेयर Shares	9787,29,70	4420,21,70
(iv) डिबेंचर और बांड Debentures and Bonds	21038,67,02	10552,50,06
(v) अनुषंगियाँ/संयुक्त उद्यम Subsidiaries/Joint Ventures	—	—
(vi) सहयोगी Associates	984,53,30	796,16,66
(vii) अन्य (यूनिट्स आदि) Others (Units, etc.)	20456,68,15	10937,47,98
योग TOTAL	267587,33,45	209848,56,47
II. भारत के बाहर विनिधान Investments outside India in		
(i) सरकारी प्रतिभूतियों में (इसमें स्थानीय प्राधिकरण सम्मिलित हैं) Government Securities (including local authorities)	1708,96,93	1489,07,52
(ii) विदेश स्थित अनुषंगियाँ/संयुक्त उद्यम Subsidiaries/Joint Ventures abroad	—	—
(iii) सहयोगी Associates	66,35,50	57,29,13
(iv) अन्य (शेयर, डिबेंचर आदि) Other Investments (Shares, Debentures, etc.)	4479,06,55	5126,11,74
योग TOTAL	6254,38,98	6672,48,39
कुल योग GRAND TOTAL (I और II)	273841,72,43	216521,04,86
III. भारत में विनिधान Investments in India in		
(i) विनिधानों का सकल मूल्य Gross Value of Investments	268950,26,38	212719,15,36
(ii) मूल्यहास के लिए कुल प्रावधान Aggregate of Provisions for Depreciation	1362,92,93	2870,58,89
(iii) निवल विनिधान (ऊपर I से) Net Investments (vide I above)	267587,33,45	209848,56,47
IV. भारत के बाहर विनिधान Investments outside India in		
(i) विनिधानों का सकल मूल्य Gross Value of Investments	6297,49,54	6687,72,57
(ii) मूल्यहास के लिए कुल प्रावधान Aggregate of Provisions for Depreciation	43,10,56	15,24,18
(iii) निवल विनिधान (ऊपर II से) Net Investments (vide II above)	6254,38,98	6672,48,39
कुल योग GRAND TOTAL (III और IV)	273841,72,43	216521,04,86





अनुसूची 9 — अग्रिम
SCHEDULE 9 — ADVANCES

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

		31.3.2008 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2008 (Current Year)	31.3.2007 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2007 (Previous Year)
		रु. Rs.	रु. Rs.
क. (I)	क्रय किए गए और मितिकाटे पर भुगतान किए गए विनिमय पत्र		
A.	Bills purchased and discounted	50693,99,66	39207,38,28
(II)	कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और उधार		
	Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	222346,44,52	181749,60,28
(III)	सावधि उधार		
	Term loans	330181,49,86	266328,97,92
	योग TOTAL	603221,94,04	487285,96,48
ख. (I)	मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत		
B.	Secured by tangible assets	431886,78,01	352703,92,18
(II)	सरकारी प्रत्याभूतियों द्वारा संरक्षित		
	Covered by Government Guarantees	27008,82,91	27170,16,30
(III)	अप्रतिभूत		
	Unsecured	144326,33,12	107411,88,00
	योग TOTAL	603221,94,04	487285,96,48
ग. (I)	भारत में अग्रिम		
C.	Advances in India		
(i)	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र		
	Priority Sector	180100,76,59	155065,19,22
(ii)	सार्वजनिक क्षेत्र		
	Public Sector	36479,29,26	37993,64,13
(iii)	बैंक		
	Banks	1217,03,23	3405,79,58
(iv)	अन्य		
	Others	325873,24,78	250357,39,14
	योग TOTAL	543670,33,86	446822,02,07
(II)	भारत के बाहर अग्रिम		
	Advances outside India		
(i)	बैंकों से शोध्य		
	Due from banks	2220,08,44	2946,51,03
(ii)	अन्यों से शोध्य		
	Due from others		
(क)	क्रय किए गए और मितिकाटे पर भुगतान किए गए विनिमय पत्र		
(a)	Bills purchased and discounted	15654,28,87	10592,44,11
(ख)	अभिषद उधार		
(b)	Syndicated loans	20564,34,12	12708,55,64
(ग)	अन्य		
(c)	Others	21112,88,75	14216,43,63
	योग TOTAL	59551,60,18	40463,94,41
	कुल योग GRAND TOTAL (ग C.I और ग C.II)	603221,94,04	487285,96,48





अनुसूची 10 — स्थिर आस्तियाँ
SCHEDULE 10 — FIXED ASSETS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2008 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2008 (Current Year)		31.3.2007 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2007 (Previous Year)	
	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.
I. क. परिसर				
A. Premises				
पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	1919,93,70		1797,08,85	
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	100,83,28		126,08,47	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	60,76		3,23,62	
अद्यतन अवक्षयण Depreciation to date	738,88,63	1281,27,59	657,65,19	1262,28,51
I. ख. निर्माणाधीन परिसर				
B. Premises under Construction		234,33,61		145,05,23
II. अन्य स्थिर आस्तियाँ (इसमें फर्नीचर और फिक्सचर सम्मिलित हैं)				
Other Fixed Assets (including furniture and fixtures)				
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	8054,65,39		7248,68,42	
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	1615,02,15		969,44,73	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	142,83,50		163,47,76	
अद्यतन अवक्षयण Depreciation to date	6435,28,19	3091,55,85	5565,07,39	2489,58,00
III. पट्टाकृत आस्तियाँ				
Leased Assets				
क. पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर				
A. At cost as on 31st March of the preceding year	1300,30,74		1408,29,19	
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	—		—	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	195,88,95		107,98,45	
अद्यतन अवक्षयण Depreciation to date	1050,69,08		1127,80,98	
	53,72,71		172,49,76	
घटाएँ: पट्टा समायोजन और प्रावधान Less: Lease adjustment and provisions	10,34,28	43,38,43	75,00,52	97,49,24
ख. प्रावधानों को घटाकर चल रहे पूंजीगत कार्य (पट्टाकृत आस्तियाँ)				
B. Capital works-in-progress (Leased Assets) net of Provisions		12,23,49		4,96,54
योग TOTAL	4662,78,97		3999,37,52	





अनुसूची 11 — अन्य आस्तियाँ
SCHEDULE 11 — OTHER ASSETS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2008 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2008 (Current Year)	31.3.2007 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2007 (Previous Year)
	रु. Rs.	रु. Rs.
(i) अंतर-बैंक शेषराशियाँ (निवल) Inter Bank adjustments	20,07,29	4,72,55
(ii) अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-Office adjustments (net)	13192,32,03	1828,96,42
(iii) प्रोद्भूत ब्याज Interest accrued	8937,30,60	7320,07,96
(iv) अग्रिम रूप से संदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर Tax paid in advance/tax deducted at source	4539,37,72	3906,22,68
(v) लेखन-सामग्री और स्टांप Stationery and stamps	123,56,34	106,57,16
(vi) दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर-बैंककारी आस्तियाँ Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	6,30,20	7,96,83
(vii) आस्थगित कर आस्ति Deferred tax asset	778,51,28	287,95,64
(viii) आस्थगित राजस्व व्यय Deferred Revenue Expenditure	—	—
(ix) अन्य # Others #	28917,19,23	21428,66,61
योग TOTAL	56514,64,69	34891,15,85

समेकन पर रु. 404,67,84 पिछले वर्ष रु. 47,34,82 गुडविल शामिल है

Includes Goodwill on Consolidation Rs. 404,67,84 thousand (Previous Year Rs. 47,34,82 thousand)

अनुसूची 12 — समाश्रित दायित्व
SCHEDULE 12 — CONTINGENT LIABILITIES

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2008 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2008 (Current Year)	31.3.2007 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2007 (Previous Year)
	रु. Rs.	रु. Rs.
I. ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए बैंक के विरुद्ध दावे Claims against the bank not acknowledged as debts	1193,08,72	4025,49,14
II. अंशतः संदत्त विनिधानों के लिए दायित्व Liability for partly paid investments	3,00,00	3,44,95
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं की बाबत दायित्व Liability on account of outstanding forward exchange contracts	415574,61,06	258735,54,35
IV. संघटकों की ओर से दी गई प्रत्याभूतियाँ Guarantees given on behalf of constituents		
(क) भारत में (a) In India	46429,29,93	32108,87,20
(ख) भारत के बाहर (b) Outside India	15116,23,35	14602,40,15
V. प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएँ Acceptances, endorsements and other obligations	90113,41,98	58612,90,93
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक समाश्रित रूप से उत्तरदायी हैं Other items for which the bank is contingently liable	377340,55,71	243644,82,83
योग TOTAL	945770,20,75	611733,49,55





31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2008

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	अनुसूची सं. Schedule No.	31.3.2008 को समाप्त वर्ष year ended 31.3.2008	31.3.2007 को समाप्त वर्ष year ended 31.3.2007
		₹. Rs.	₹. Rs.
I. आय INCOME			
अर्जित ब्याज Interest earned	...	71495,81,61	54363,44,24
अन्य आय Other Income	...	18722,99,31	12760,69,96
	योग TOTAL	90218,80,92	67124,14,20
II. व्यय EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज Interest expended	...	47944,04,02	32730,06,29
प्रचालन व्यय Operating expenses	...	23943,23,27	20001,78,22
उपबंध और आकस्मिक व्यय Provisions and contingencies	...	9118,70,24	7772,49,74
	योग TOTAL	81005,97,53	60504,34,25
III. लाभ PROFIT			
वर्ष के लिए निवल लाभ Net Profit for the year	...	9212,83,39	6619,79,95
घटाएं : अल्पांश हित Less: Minority Interest	...	252,22,30	255,42,44
समूह लाभ Group Profit	...	8960,61,09	6364,37,51
जोड़ें : समूह के देय अग्रणीत लाभ Add: Brought forward Profit attributable to the group	...	119,01,75	386,37,55
सामान्य आरक्षितियों से अंतरण Add: Transfer from General Reserve	...	9,37	2,88,57
	योग TOTAL	9079,72,21	6753,63,63
विनियोजन APPROPRIATIONS			
कानूनी आरक्षितियों को अंतरण Transfer to Statutory Reserves	...	5573,43,78	4006,28,44
अन्य आरक्षितियों का अंतरण Transfer to Other Reserves	...	1829,15,31	1740,56,54
प्रस्तावित लाभांशों को अंतरण Transfer to Proposed Dividend	...	1357,66,13	736,81,84
लाभांशों पर कारपोरेट कर Corporate Tax on Dividend	...	231,72,80	150,95,06
अतिशेष जो तुलनपत्र में आगे ले जाया गया है Balance carried over to Balance Sheet	...	87,74,19	119,01,75
	योग TOTAL	9079,72,21	6753,63,63
प्रति शेअर मूल आय / Basic earnings per share		Rs. 168.61	Rs. 120.66
प्रति शेअर न्यूनीकृत आय / Diluted earnings per share		Rs. 168.45	Rs. 120.66
प्रमुख लेखा नीतियाँ / Principal Accounting Policies	...	17	
लेखा-टिप्पणियाँ / Notes on Accounts	...	18	



अनुसूची 13 — अर्जित ब्याज

SCHEDULE 13 — INTEREST EARNED

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2008 को समाप्त वर्ष year ended 31.3.2008	31.3.2007 को समाप्त वर्ष year ended 31.3.2007
	रु. Rs.	रु. Rs.
I. अग्रिमों/विनिमय पत्रों पर ब्याज/मितीकाटा Interest/discount on advances/bills	51920,06,81	36832,81,15
II. विनिधानों पर आय Income on investments	17406,32,34	15163,70,38
III. भारतीय रिज़र्व बैंक के अतिशेषों और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	1442,54,78	2132,35,24
IV. अन्य Others	726,87,68	234,57,47
योग TOTAL	71495,81,61	54363,44,24

अनुसूची 14 — अन्य आय

SCHEDULE 14 — OTHER INCOME

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2008 को समाप्त वर्ष year ended 31.3.2008	31.3.2007 को समाप्त वर्ष year ended 31.3.2007
	रु. Rs.	रु. Rs.
I. कमीशन, विनिमय और दलाली Commission, exchange and brokerage	7823,87,01	6662,29,23
II. विनिधानों के विक्रय पर लाभ/हानि (निवल) Profit/Loss on sale of investments (Net)	2780,60,20	971,11,05
III. विनिधानों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ/हानि (निवल) Profit/(Loss) on revaluation of investments (Net) #...	(856,75,44)	(640,74,29)
IV. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ (निवल) Profit on sale of land, buildings and other assets (Net)	10,56,88	7,50,56
V. पट्टाकृत परिसंपत्तियों के विक्रय पर लाभ (निवल) Profit on sale of leased assets (Net)	13.95	37,15
VI. विनिमय संव्यवहारों पर लाभ (निवल) Profit on exchange transactions (Net)	951,42,65	543,65,49
VII. भारत/विदेश स्थित संयुक्त उद्यमों से प्राप्त लाभांश Dividends from Associates in India/abroad	15,62,50	7,89,07
VIII. पट्टा आय Income from financial Lease	42,55,65	110,41,47
IX. क्रेडिट कार्ड सदस्यता/सेवा शुल्क Credit card membership/service fees	424,56,77	357,90,80
X. जीवन बीमा प्रीमियम Life Insurance Premium	5611,20,47	2923,43,88
XI. सहयोगियों से आय का हिस्सा Share of earnings from associates	195,37,67	188,85,47
XII. विविध आय Miscellaneous Income	1723,81,00	1628,00,08
योग TOTAL	18722,99,31	12760,69,96

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े ऋणात्मक मूल्य दर्शाते हैं।

Figures in () indicate negative values.



अनुसूची 15 — व्यय किया गया ब्याज

SCHEDULE 15 — INTEREST EXPENDED

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2008 को समाप्त वर्ष year ended 31.3.2008	31.3.2007 को समाप्त वर्ष year ended 31.3.2007
	रु. Rs.	रु. Rs.
I. निक्षेपों पर ब्याज Interest on deposits	41713,23,43	28407,83,36
II. भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर-बैंक उधारों पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India/Inter-bank borrowings	3204,42,09	1537,96,30
III. अन्य Others	3026,38,50	2784,26,63
योग TOTAL	47944,04,02	32730,06,29

अनुसूची 16 — प्रचालन व्यय

SCHEDULE 16 — OPERATING EXPENSES

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2008 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2008	31.3.2007 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2007
	रु. Rs.	रु. Rs.
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	10457,50,98	10597,47,38
II. भाटक, कर और रोशनी Rent, taxes and lighting	1408,47,48	1267,67,26
III. मुद्रण और लेखन-सामग्री Printing and stationery	256,50,51	229,31,29
IV. विज्ञापन और प्रचार Advertisement and publicity	358,98,05	244,14,93
V. अवक्षयण Depreciation		
(क) पट्टाकृत आस्तियों पर (a) Leased Assets	40,71,98	95,47,40
(ख) अन्य स्थिर आस्तियों पर (b) Other Fixed Assets	997,61,38	854,59,58
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय Directors' fees, allowances and expenses	5,03,16	4,08,00
VII. लेखा-परीक्षकों की फीस और व्यय (इसमें शाखा लेखा-परीक्षकों की फीस और व्यय शामिल है) Auditors' fees and expenses (including branch auditors' fees and expenses)	157,76,80	103,92,45
VIII. विधि प्रभार Law charges	81,52,13	75,97,64
IX. डाक महसूल, तार और टेलीफोन आदि Postages, Telegrams, Telephones, etc.	297,99,14	200,70,75
X. मरम्मत और अनुरक्षण Repairs and maintenance	302,25,72	239,72,79
XI. बीमा Insurance	617,15,35	513,73,19
XII. आस्थगित राजस्व व्यय का परिशोधन Amortization of deferred revenue expenditure	—	13,28,03
XIII. क्रेडिट कार्ड प्रचालन से संबंधित परिचालन व्यय Operating Expenses relating to Credit Card operations...	317,04,27	205,45,59
XIV. जीवन बीमा से संबंधित परिचालन व्यय Operating Expenses relating to Life Insurance	5395,92,89	2843,42,74
XV. अन्य व्यय Other expenditure	3248,73,43	2512,79,20
योग TOTAL	23943,23,27	20001,78,22



**अनुसूची 17****प्रमुख लेखाकरण नीतियाँ****क. तैयार करने का आधार:**

संलग्न वित्तीय विवरण अवधिगत लागत आधार पर, डेरीवेटिव्स और विदेशी मुद्रा लेन-देनों के लिए यथा आशोधित, जैसा कि नीचे भाग “ग” में वर्णित है, तैयार किए गए हैं। वे भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा-सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप हैं एवं जिनमें सांविधिक प्रावधान, विनियामक प्राधिकारियों के दिशा निर्देश, भारतीय रिज़र्व बैंक, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, कंपनी अधिनियम 1956, लेखा मानक/भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी मार्गदर्शी टिप्पणियाँ और भारत में प्रचलित प्रथाएँ शामिल हैं।

प्राक्कलनों का प्रयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन को, वित्तीय विवरणों की तिथि को - आस्तियों और देयताओं, (इसमें आकस्मिक देयताएँ सम्मिलित हैं) की सूचित राशियाँ तथा सूचना अवधि के दौरान सूचित आय एवं व्यय में प्रतिफलित प्राक्कलन और पूर्वानुमान करने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन का यह मानना है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन विवेकपूर्ण और यथोचित हैं। भावी परिणाम इन प्राक्कलनों से अलग हो सकते हैं। लेखाकरण प्राक्कलनों में किसी संशोधन का वर्तमान और भविष्यगत अवधियों के लिए भविष्यलक्षी प्रभाव से अभिज्ञान किया गया है।

ख. समेकन का आधार:

1.1 समूह (जिसमें 27 अनुषंगियाँ, 2 संयुक्त उद्यम और 28 सहयोगी शामिल हैं) के समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित के आधार पर तैयार किए गए हैं :

- क. भारतीय स्टेट बैंक का लेखा परीक्षित खाते (मूल कंपनी)
- ख. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक 21 के अनुसार अंतः समूह बकाया/लेनदेन, गैर वसूलीकृत लाभ/हानि तथा असमरूप लेखा नीतियों के लिए जहां आवश्यक हुआ है वहां आवश्यक समायोजन करने के उपरांत अनुषंगियों की आस्ति/देयता/आय/व्यय का मूल (मूल कंपनी) की इन्हीं पदों से क्रमशः अक्षरशः समेकन किया गया है।
- ग. संयुक्त उद्यमों का समेकन : भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक-27 के अनुसार “समानुपातिक समेकन” किया गया है।

Schedule 17**PRINCIPAL ACCOUNTING POLICIES:****A. Basis of Preparation:**

The accompanying financial statements have been prepared under the historical cost convention as modified for derivatives and foreign currency transactions, as enumerated in Part C below. They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprise the statutory provisions, guidelines of regulatory authorities, Reserve Bank of India (RBI), Insurance Regulatory and Development Authority, Companies Act, 1956, Accounting Standards (AS)/guidance notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), and the prevalent practices in India.

Use of Estimates

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amounts of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of the date of the financial statements and the reported income and expenses during the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates. Any revision to the accounting estimates is recognised prospectively in the current and future periods.

B. Basis of Consolidation:

Consolidated financial statements of the Group (comprising of 27 subsidiaries, 2 Joint Ventures and 28 Associates) have been prepared on the basis of:

- a) Audited accounts of State Bank of India (Parent).
- b) Line by line aggregation of each item of asset/liability/income/expense of the subsidiaries with the respective item of the Parent, and after eliminating all material intra-group balances/transactions, unrealised profit/loss, and making necessary adjustments wherever required for non-uniform accounting policies as per Accounting Standard 21 issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).
- c) Consolidation of Joint Ventures – ‘Proportionate Consolidation’ as per AS 27 of ICAI.





घ. “सहयोगियों” में किए गए निवेश का लेखाकरण “इक्विटी-पद्धति” के अंतर्गत भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक 23 के अनुसार किया गया है।

अनुषंगी कंपनियों में समूह के निवेश की लागत तथा अनुषंगियों की इक्विटी में समूह के अंश के बीच के अंतर को वित्तीय विवरणों में “गुडविल”/पूँजी आरक्षिती के रूप में दिखाया गया है।

समेकित अनुषंगियों की निवल आस्तियों में अल्पांश हित निम्नवत है:

- क. अनुषंगी में निवेश की तिथि को अल्पांश की इक्विटी-राशि
- ख. मूल कंपनी और अनुषंगी के संबंधों के शुरू होने की तिथि से आय आरक्षित/हानि (इक्विटी) में अल्पांश-शेयर का उतार-चढ़ाव।

ग. प्रमुख लेखाकरण नीतियाँ

1. राजस्व निर्धारण

1.1 निम्नांकित को छोड़कर आय और व्यय को प्रोद्भव आधार पर लेखे में लिया गया है. बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में आय का अभिज्ञान उस देश के स्थानीय कानून के अनुसार किया गया है जिस देश में वह कार्यालय स्थित है।

1.2 ब्याज आय का लाभ और हानि खाते में प्रोद्भव आधार पर निर्धारण सिवा (i) अग्रिमों, पट्टों और विनिधानों से समाविष्ट अनर्जक आस्तियों से आय, जिसका निर्धारण भारतीय रिज़र्व बैंक / संबंधित देश के विनियामकों (इसके पश्चात् सामूहिक रूप से विनियामक प्राधिकारी कहलाएंगे) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली आधार पर किया जाता है, (ii) विनिधानों की आवेदन-राशि पर ब्याज, (iii) विनिधानों तथा बट्टाकृत बिलों पर अतिदेय ब्याज (iv) रुपया डेरीवेटिव्स पर आय “ट्रेडिंग” के रूप में नामित।

1.3 विनिधानों की बिक्री पर होने वाले लाभ / हानि को “विनिधानों” की बिक्री पर लाभ/हानि खाते में जमा/नामे किया गया है और उसके पश्चात् “परिपक्वता के लिए रखे गए” श्रेणी के विनिधानों की बिक्री पर होने वाले लाभ को (प्रयोज्य करों और सांविधिक आरक्षिती अपेक्षाओं को घटाने के बाद) पूँजी आरक्षिती में विनियोग किया गया है।

1.4 वित्त पट्टों से हुई आय का परिकलन प्राथमिक पट्टा अवधि से अधिक अवधि के पट्टे पर बकाया निवल विनिधान के

d) Accounting for investment in ‘Associates’ under the ‘Equity Method’ as per the AS 23 of ICAI.

The difference between cost to the group of its investment in the subsidiary entities and the group’s portion of the equity of the subsidiaries is recognised in the financial statements as goodwill / capital reserve.

Minority interest in the net assets of the consolidated subsidiaries consists of:

- a) The amount of equity attributable to the minority at the date on which investment in a subsidiary is made, and
- b) The minority share of movements in revenue reserves/loss (equity) since the date the parent-subsidiary relationship came into existence.

C. PRINCIPAL ACCOUNTING POLICIES

1. Revenue recognition

1.1 Income and expenditure are accounted on accrual basis, except otherwise stated below. In respect of banks’ foreign branches/subsidiaries, income is recognised as per the local laws of the country in which the respective foreign branch/subsidiary is located.

1.2 Interest income is recognised in the Profit and Loss Account as it accrues except (i) income from non-performing assets (NPAs), comprising of advances, leases and investments, which is recognised upon realisation, as per the prudential norms prescribed by the RBI/ respective country regulators (hereafter collectively referred to as Regulatory Authorities), (ii) interest on application money on investments (iii) overdue interest on investments and bills discounted, (iv) Income on Rupee Derivatives designated as “Trading”

1.3 Profit / Loss on sale of investments is credited / debited to “Profit / Loss on Sale of Investments” and thereafter in respect of profit on sale of investments in the Held to Maturity category is appropriated (net of applicable taxes and statutory reserve requirements) to Capital Reserve.

1.4 Income from finance leases is calculated





पट्टे में अन्तर्निहित ब्याज दर का उपयोग करके किया गया है. 01 अप्रैल, 2001 से प्रभावी पट्टों को पट्टे में निवल विनिधान के समान राशि के अग्रिम के रूप में लेखे में लिया गया है. पट्टा किरायों का मूल राशि और वित्त आय में प्रभाजन वित्त पट्टों से सम्बद्ध बकाया निवल प्रावधानों के नियत आवधिक प्रतिफल के परावर्ती स्वरूप के आधार पर किया गया है. मूल राशि का उपयोग पट्टे में निवल विनिधान राशि को घटाने के लिए किया गया है और वित्त आय को ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया गया है।

1.5 “परिपक्वता के लिए रखे गए” श्रेणी में विनिधान पर आय (ब्याज को छोड़कर) को अंकित मूल्य की तुलना में बट्टाकृत मूल्य पर निम्नवत अभिज्ञान में लिया गया है :

i) ब्याज-प्राप्त करने वाली प्रतिभूतियों के संदर्भ, में इसे बिक्री / शोधन के समय अभिज्ञान में लिया गया है.

ii) शून्य-कूपन प्रतिभूतियों पर, इसे प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए नियत आय आधार पर लेखे में लिया गया है।

1.6 जहाँ लाभांश प्राप्त करने का अधिकार सिद्ध होता है वहाँ लाभांश को प्रोद्भवन आधार पर लेखे में लिया गया है।

1.7 (i) आस्थगित भुगतान गारंटियों पर गारंटी कमीशन का आकलन गारंटी की पूरी अवधि के लिए किया गया है और (ii) सरकारी व्यवसाय पर कमीशन का निर्धारण प्रोद्भवन आधार पर किया गया है. इन दोनों को छोड़कर अन्य सभी कमीशन और शुल्क - आय का निर्धारण वसूली के बाद किया गया है।

1.8 गैर बैंकिंग इकाइयां

मर्चेन्ट बैंकिंग:

क. ग्राहक के साथ हुए करार के अनुसार इश्यू-प्रबंधन और परामर्श शुल्क को शामिल किया गया है।

ख. सुपुर्द नियत-कार्य के पूरा होने के बाद निजी नियोजन शुल्क को शामिल किया गया है।

ग. पब्लिक इश्यू से संबंधित हमीदारी-कमीशन को पब्लिक इश्यू के आबंटन प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात लेखे में लिया गया है।

by applying the interest rate implicit in the lease to the net investment outstanding on the lease, over the primary lease period. Leases effective from April 1, 2001 are accounted as advances at an amount equal to the net investment in the lease. The lease rentals are apportioned between principal and finance income based on a pattern reflecting a constant periodic return on the net investment outstanding in respect of finance leases. The principal amount is utilized for reduction in balance of net investment in lease and finance income is reported as interest income.

1.5 Income (other than interest) on investments in “Held to Maturity” (HTM) category acquired at a discount to the face value, is recognised as follows:

i. On Interest bearing securities, it is recognised only at the time of sale/redemption.

ii. On zero-coupon securities, it is accounted for over the balance tenor of the security on a constant yield basis.

1.6 Dividend is accounted on an accrual basis where the right to receive the dividend is established.

1.7 All other commission and fee incomes are recognised on their realisation except for (i) Guarantee commission on deferred payment guarantees, which is spread over the period of the guarantee and (ii) Commission on Government Business, which is recognised as it accrues.

1.8 Non-banking entities

Merchant Banking:

a) Issue management and advisory fees are recognised as per the terms of agreement with the client.

b) Fees for private placement are recognised on completion of assignment.

c) Underwriting commission relating to public issues is accounted for on finalisation of allotment of the public issue.





- घ. पब्लिक इश्यू/म्युच्युअल फंड/अन्य प्रतिभूतियों से संबंधित दलाली आय को-ग्राहक/बिचौलियों से संग्रहण/सूचना प्राप्त होने के बाद लेखे में लिया गया है।

आस्ति प्रबंधन:

- क. संबंधित योजनाओं से सहमत विशिष्ट दरों पर प्रबंधन शुल्क को अभिज्ञान में लिया गया है। इसे प्रत्येक योजना की निवल आस्ति के दैनिक औसत आधार पर लागू किया गया है (इसमें जहां लागू हो अंतर-योजना विनिधान और संबंधित योजनाओं में कम्पनी द्वारा किए गए विनिधानों को नहीं शामिल किया गया है।) और यह सेबी (एसइबीआई) (म्युच्युल-फंड) विनियम 1996 द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुरूप है।
- ख. संविदा शर्तों के अनुसार, संविभाग सलाहकार सेवाओं से प्राप्त आय को प्रोद्भवन आधार पर लिया गया है।
- ग. प्रत्याभूत घाटा-योजनाओं से होने वाली वसूली-जिसे पहले व्यय माना गया था - उसे प्राप्ति के वर्ष में आय के रूप में माना गया है।
- घ. योजना - व्यय: अनुमानित दर से अधिक योजना-व्ययों को लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया गया है।
- ङ. सन्नोवेशन - अधिकार के अंतर्गत कंपनी द्वारा अभिगृहीत योजनाओं के अंतर्गत निवेश की वसूली प्राप्ति आधार पर लेखे में ली गई है।

क्रेडिट कार्ड परिचालन :

- क. सदस्यता ग्रहण शुल्क तथा प्रथम वार्षिक शुल्क को एक वर्ष की अवधि के लिए निर्धारित किया गया है क्योंकि यह ज्यादा सटीक ढंग से उस अवधि को दर्शाती है, जिससे शुल्क संबंधित है,
- ख. इंटरचेंज आय को प्रोद्भवन आधार पर अभिज्ञान में लिया गया है।
- ग. सभी अन्य सेवा शुल्क संबंधित लेनदेन के समय दर्ज किए जाते हैं।
- घ. जिन मामलों में ग्राहक, न्यूनतम बकाया राशि के भुगतान में 180 दिन से भी अधिक अवधि के लिए चूक करते हैं ऐसे मामलों को छोड़कर क्रेडिट कार्ड धारकों की बकाया राशि पर व्याज - आय को प्रोद्भवन आधार पर, विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार, अभिज्ञान में लिया जाता है।

- d) Brokerage income relating to public issues/mutual fund/other securities is accounted for based on mobilisation and intimation received from clients/intermediaries.

Asset Management:

- a. Management fee is recognised at specific rates agreed with the relevant schemes, applied on the average daily net assets of each scheme (excluding inter-scheme investments, where applicable, and investments made by the company in the respective scheme) and are in conformity with the limits specified under SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996.
- b. Portfolio Advisory Service income is recognised on accrual basis as per the terms of the contract.
- c. Recovery from guaranteed schemes of deficit earlier recognised as expense is recognised as income in the year of receipt.
- d. Scheme Expenses: Expenses of schemes in excess of the stipulated rates are charged to the Profit and Loss Account.
- e. Recovery, if any, on realisation of devolved investments of schemes acquired by the company in terms of right of subrogation is accounted on the basis of receipts.

Credit Card Operations:

- a. Joining membership fee and first annual fee has been recognised over a period of one year as this more closely reflects the period to which the fee relates to.
- b. Interchange income is recognised on accrual basis.
- c. All other service fees are recorded at the time of recording the respective transaction.
- d. Interest income on dues from credit card holders is recognised on accrual basis except for customers defaulting in payment of minimum amount due for a period exceeding 180 days in respect of which income is recognised in accordance with the prudential norms.



**फैक्टरिंग :**

अनर्जक परिसंपत्तियों, जहाँ वसूली होने पर आय को हिसाब में लिया जाता है, के मामले को छोड़कर फैक्टरिंग सेवा शुल्कों को प्रोद्भवन आधार पर हिसाब में लिया जाता है। कंपनी द्वारा फैक्टरींग/वित्तीय संस्वीकृति के बाद प्रसंस्करण प्रभार प्रोद्भूत होते हैं।

जीवन बीमा:

- क. पॉलिसी धारकों से देय होने पर, जीवन बीमा प्रीमियम (सेवाकर को घटाने के बाद) को आय के रूप में लिया जाता है। कालातीत पॉलिसियों को जब तक पुनःप्रवर्तित न किया जाता, तब तक ऐसी पॉलिसियों के वसूल न किए गए प्रीमियम को हिसाब में नहीं लिया जाता है। लिंक्ड व्यवसाय के मामले में एसोसिएटेड इकाइयों के आबंटन के समय प्रीमियम आय का निर्धारण किया जाता है।
- ख. पुनर्बीमा पर प्राप्त प्रीमियम को पुनर्बीमाकर्ता के साथ हुई संधि अथवा सैद्धांतिक व्यवस्था की शर्तों के अनुसार हिसाब में लिया जाता है।
- ग. मृत्यु से संबंधित जीवन बीमा दावों की सूचना प्राप्त होने पर उन्हें हिसाब में लिया जाता है। वर्ष के अंत तक की सूचनाओं पर ऐसे दावों की गणना के लिए विचार किया जाता है। परिपक्वता से संबंधित दावों को पॉलिसी की परिपक्वता तिथि को हिसाब में लिया जाता है। वार्षिक लाभों की गणना उस समय की जाती है, जब वे देय होते हैं। जहाँ प्रयोज्य हो, दावा-व्यय में पॉलिसी लाभ एवं दावा निपटान व्यय शामिल होते हैं। पुनर्बीमाकर्ताओं से वसूल की जाने वाली राशियों को संबंधित दावों की अवधि के लिए हिसाब में लिया जाता है और उन्हें दावों से घटाया जाता है।
- घ. कमीशन, चिकित्सा शुल्क जैसी लागतें जो बीमा संविदा शुरु करते समय और उनका नवीनीकरण करते समय मूल अभिग्रहण-लागत होती हैं - इनका भुगतान व्यय के समय ही कर दिया जाता है।
- ङ. बीमा पालिसियों के लिए देयता : सभी जीवन बीमा पालिसियों की बीमांकित देयता - इस्टीमेट आफ एक्चूअरीज आफ इंडिया द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार -नियुक्त किए गए एक्चूअरी द्वारा की जाती है।

2. विनिधान

विनिधानों को वर्तमान विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार लेखे में लिया गया है। बैंक अपने विनिधानों को लेखे में लेने के लिए व्यवसाय-तिथि पद्धति अपनाता है।

Factoring:

Factoring service charges are accounted on accrual basis except in the case of non-performing assets, where income is accounted on realisation. Processing charges are accrued upon acceptance of sanction of the factoring /financing limits by the Company.

Life Insurance:

- a) Life insurance premium (net of service tax) is recognized as income when due from policyholders. Uncollected premium from lapsed policies is not recognised as income until such policies are revived. In respect of linked business, premium income is recognised when the associated units are allotted.
- b) Premium ceded on reinsurance is accounted in accordance with the terms of the treaty or in-principle arrangement with the Re-Insurer.
- c) Life insurance claims by death are accounted when intimated. Intimations upto the end of the year are considered for accounting of such claims. Claims by maturity are accounted on the policy maturity date. Annuity benefits are accounted when due. Surrenders are accounted as and when notified. Claims cost consist of the policy benefit amounts and claims settlement costs, where applicable. Amounts recoverable from re-insurers are accounted for in the same period as the related claims and are reduced from claims.
- d) Acquisition costs such as commission; medical fees etc. are costs that are primarily related to the acquisition of new and renewal insurance contracts and are expensed as and when incurred.
- e) Liability for life policies: The actuarial liability of all the life insurance policies has been calculated by the appointed actuary as per the guidelines prescribed by the Institute of Actuaries of India.

2. Investments

Investments are accounted for in accordance with the extant regulatory guidelines. The bank follows trade date method for accounting of its investments.



**2.1 वर्गीकरण**

विनिधानों का 3 श्रेणियों अर्थात् “परिपक्वता के लिए रखे गए”, “विक्रय के लिए उपलब्ध” और “व्यवसाय के लिए रखे गए” (इसके पश्चात् इन्हें श्रेणियाँ कहा जाएगा) में वर्गीकृत किया गया है। इन श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत विनिधानों को पुनः निम्नानुसार छह समूहों में वर्गीकृत किया गया है।

- i. सरकारी प्रतिभूतियाँ,
- ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ,
- iii. शेयर,
- iv. डिबेंचर और बांड,
- v. अनुषंगी/संयुक्त उद्यम तथा
- vi. अन्य

2.2 वर्गीकरण का आधार :

- i. उन विनिधानों को “परिपक्वता के लिए रखे गए” श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें बैंक द्वारा परिपक्वता तक रखा जाता है।
- ii. उन विनिधानों को “व्यवसाय के लिए रखे गए” श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें क्रय तिथि से 90 दिनों के भीतर सिद्धांततः पुनर्विक्रय हेतु रखा जाता है।
- iii. जिन विनिधानों को उपर्युक्त दो श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किया गया है, उन्हें “विक्रय के लिए उपलब्ध” श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- iv. किसी विनिधान को इसके क्रय के समय “परिपक्वता के लिए रखे गए”, “विक्रय के लिए उपलब्ध” या “व्यवसाय के लिए रखे गए” श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है और उसके पश्चात् श्रेणियों में परस्पर परिवर्तन विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया गया है।

2.3 मूल्यन :

- i. किसी विनिधान की अभिग्रहण-लागत का निर्धारण करने में :
 - (क) अभिदानों पर प्राप्त दलाली/कमीशन को लागत में से घटा दिया गया है।
 - (ख) विनिधानों के अभिग्रहण के संबंध में प्रदत्त दलाली, कमीशन आदि का उसी समय व्यय कर दिया गया है और इन्हें लागत में शामिल नहीं किया गया है।
 - (ग) ऋण लिखतों पर खंडित अवधि के लिए प्रदत्त/प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय/आय के रूप में माना गया है और इन्हें लागत / विक्रय के प्रतिफलन में शामिल नहीं किया गया है।

2.1 Classification

Investments are classified into 3 categories, viz. Held to Maturity, Available for Sale and Held for Trading categories (hereafter called categories). Under each of these categories, investments are further classified into the following six groups:

- i. Government Securities,
- ii. Other Approved Securities,
- iii. Shares,
- iv. Debentures and Bonds,
- v. Subsidiaries/Joint ventures and
- vi. Others.

2.2 Basis of classification:

- i. Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as Held to Maturity.
- ii. Investments that are held principally for resale within 90 days from the date of purchase are classified as Held for Trading.
- iii. Investments, which are not classified in the above two categories, are classified as Available for Sale.
- iv. An investment is classified as Held to Maturity, Available for Sale or Held for Trading at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories is done in conformity with regulatory guidelines.

2.3 Valuation:

- i. In determining the acquisition cost of an investment:
 - (a) Brokerage/commission received on subscriptions is reduced from the cost.
 - (b) Brokerage, commission etc. paid in connection with acquisition of investments are expensed upfront and excluded from cost.
 - (c) Broken period interest paid / received on debt instruments is treated as interest expense/income and is excluded from cost/sale consideration.





- (घ) लागत का निर्धारण भारत औसत लागत प्रणाली के अनुसार किया गया है।
- (ङ) उपरोक्त तीन श्रेणियों में प्रतिभूति के अंतरण को अंतरण की तिथि पर न्यूनतम अभिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य के अनुसार लेखे में लिया गया है, और ऐसे अंतरण पर हुए मूल्यहरास, यदि हो तो, का प्रावधान किया गया है।
- ii. राजस्व बिलों और वाणिज्यिक पत्रों का मूल्यन अग्रानीत व्यय आधार पर किया गया है।
- iii. “परिपक्वता के लिए रखे गए” श्रेणी : “परिपक्वता के लिए रखे गए” प्रत्येक स्क्रिप को अभिग्रहण लागत पर लिया गया है और यदि उसे अंकित मूल्य पर अभिगृहीत किया गया है तो उसे परिशोधित लागत पर लिया गया है. किसी अभिगृहीत प्रीमियम को नियत आय आधार पर प्रतिभूति की बची हुई परिपक्वता अवधि में परिशोधित किया गया है। ऐसे प्रीमियम के परिशोधन को “विनिधानों पर ब्याज” शीर्ष के अन्तर्गत आय के सापेक्ष समायोजित किया गया है। अस्थायी के अतिरिक्त हरास के लिए प्रावधान किया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों (देश और विदेश दोनों में ही) में विनिधान को अवधिगत लागत आधार पर मूल्यांकित किया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में विनिधान को अग्रानीत लागत (अर्थात् बही मूल्य) पर मूल्यांकित किया गया है।
- iv. **विक्रय के लिए उपलब्ध तथा व्यवसाय के लिए रखे गए श्रेणियाँ** : उपरोक्त दोनों श्रेणियों के प्रत्येक स्क्रिप का पुनर्मूल्यन विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित बाजार मूल्य या उचित मूल्य के अनुसार किया गया है और प्रत्येक श्रेणी से सम्बद्ध प्रत्येक समूह के निवल मूल्यहरास का प्रावधान किया गया है और निवल मूल्यवृद्धि को लेखे में नहीं लिया गया है। मूल्यहरास का प्रावधान होने पर प्रत्येक प्रतिभूति का बही मूल्य बाजार के बही - मूल्य के अनुसार अंकन के पश्चात् अपरिवर्तित रहा है।
- v. आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का मूल्यन गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात (नॉन-एसएलआर) लिखतों पर लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है। तदनुसार, जिन मामलों में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का परिशोधन तत्सम्बद्ध योजना के लिखतों के लिए आबंटित वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली के अनुसार किया गया है, उन मामलों में
- (d) Cost is determined on the weighted average cost method.
- (e) The transfer of a security amongst the above three categories is accounted for at the least of acquisition cost/book value/market value on the date of transfer, and the depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.
- ii. Treasury Bills and Commercial Papers are valued at **carrying cost**.
- iii. **Held to Maturity category**: Each scrip under Held to Maturity category is carried at its acquisition cost or at amortised cost, if acquired at a premium over the face value. Any premium on acquisition is amortised over the remaining maturity period of the security on constant yield basis. Such amortisation of premium is adjusted against income under the head “interest on investments”. A provision is made for diminution, other than temporary. Investments in Regional Rural Banks (RRBs) are valued at equity cost determined in accordance with Accounting Standard 23.
- iv. **Available for Sale and Held for Trading categories**: Each scrip in the above two categories is revalued at the market price or fair value determined as per Regulatory guidelines, and only the net depreciation of each group for each category is provided for and net appreciation, is ignored. On provision for depreciation, the book value of the individual securities remains unchanged after marking to market.
- v. Security receipts issued by an asset reconstruction company (ARC) are valued in accordance with the guidelines applicable to non-SLR instruments. Accordingly, in cases where the security receipts issued by the ARC are limited to the actual realisation of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the Net Asset Value, obtained from the ARC, is





- निवल आस्ति मूल्य, आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी से प्राप्त, की गणना ऐसे विनिधानों के मूल्यन के लिए की गई है।
- vi. देशी कार्यालयों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के तथा विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में उस देश के विनियामकों के दिशा-निर्देशों के आधार पर विनिधानों को अर्जक और अनर्जक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। देशी कार्यालयों के विनिधान निम्नलिखित स्थितियों में अनर्जक हो जाते हैं :
- क. ब्याज/किस्त (परिपक्वता राशि सहित) देय है और 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए बकाया है।
- ख. इक्विटी शेयरों के संबंध में, जहाँ अद्यतन तुलनपत्र की अनुपलब्धता के कारण शेयरों को रु. 1/- प्रति कंपनी मूल्य प्रदान किया गया है - ऐसे इक्विटी शेयरों को अनर्जक विनिधान माना जाएगा।
- ग. यदि जारीकर्ता द्वारा ली गई कोई ऋण-सुविधा बैंक - बही में अनर्जक आस्ति हो गई है - ऐसी स्थिति में उसी जारीकर्ता द्वारा जारी किसी भी प्रतिभूति में विनिधान को और जारीकर्ता द्वारा विनिधान को अनर्जक विनिधान माना जाएगा।
- घ. उपर्युक्त, आवश्यक परिवर्तनों के साथ उन प्रिफरेंस शेयरों पर भी लागू होगा जहाँ निर्धारित लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है।
- ङ. ऐसे डिबेंचरों / बांडों में विनिधान जो अग्रिम की प्रकृति के हैं उन पर अनर्जक विनिधान के वही मानदंड लगेंगे जो विनिधानों पर लागू होते हैं।
- च. विदेश स्थित कार्यालयों के अनर्जक विनिधानों के संबंध में प्रावधान-स्थानीय विनियामकों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों में जो अधिक था उसके अनुसार किया गया है।
- vii. रिपो तथा प्रत्यावर्तित रिपो लेन-देन (भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन लेनदेन के अलावा) को लेखे में लेने के लिए बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित "समान लेखा प्रक्रिया" को अपनाया है. तदनुसार, रिपो/प्रत्यावर्तित रिपो के अधीन विक्रय/क्रय की गई प्रतिभूतियों को एकमुश्त विक्रय / क्रय माना गया है और उन्हें रिपो/प्रत्यावर्तित रिपो खातों के लेखे में लिया गया है तथा reckoned for valuation of such investments.
- vi. Investments are classified as performing and non-performing, based on the guidelines issued by the RBI in case of domestic offices and respective regulators in case of foreign branches/ subsidiaries. Investments of domestic offices become non performing where:
- a) Interest/instalment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.
- b) In the case of equity shares, in the event the investment in the shares of any company is valued at Re. 1 per company on account of the non availability of the latest balance sheet, those equity shares would be reckoned as NPI.
- c) If any credit facility availed by the issuer is NPA in the books of the bank, investment in any of the securities issued by the same issuer would also be treated as NPI and vice versa.
- d) The above would apply mutatis-mutandis to preference shares where the fixed dividend is not paid.
- e) The investments in debentures/ bonds, which are deemed to be in the nature of advance, are also subjected to NPI norms as applicable to investments.
- f) In respect of foreign branches/ subsidiaries, provisions for non performing investments are made as per the local regulations or as per the norms of RBI, whichever is higher.
- vii. The Bank has adopted the Uniform Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of Repo and Reverse Repo transactions [other than transactions under the Liquidity Adjustment Facility (LAF) with the RBI]. Accordingly, the securities sold/ purchased under Repo/Reverse repo are treated as outright sales/purchases





इन प्रविष्टियों का परिपक्वता तिथि को प्रत्यावर्तन किया गया है। लागत एवं राजस्व को यथास्थिति ब्याज व्यय/ आय के रूप में लेखे में लिया गया है। रिपो/प्रत्यावर्तित रिपो खाते की शेष राशि का समायोजन विनिधान खाते की शेष राशि के सापेक्ष किया गया है।

- viii. भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन क्रय / बिक्री की गई प्रतिभूतियों को विनिधान खाते में नामे/जमा किया गया है और उनको लेनदेन की परिपक्वता की तिथि पर प्रत्यावर्तित किया गया है। उन पर व्यय / अर्जित ब्याज को व्यय/राजस्व के रूप में लेखे में लिया गया है।

3 ऋण/अग्रिम और उन पर प्रावधान:

3.1 ऋणों और अग्रिमों का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा - निर्देशों के आधार पर अनर्जक और अनर्जक ऋणों और अग्रिमों के रूप में किया गया है। ऋण आस्तियाँ उन मामलों में अनर्जक बन गई हैं, जहाँ:

- सावधि ऋण के संबंध में, ब्याज और/अथवा मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती है;
- ओवरड्राफ्ट या नकद-ऋण अग्रिम के संबंध में खाता “असंगत” (“आउट ऑफ ऑर्डर”) रहता है, अर्थात् यदि बकाया शेषराशि निरन्तर 90 दिनों की अवधि के लिए संस्वीकृत सीमा /आहरण प्राधिकार से अधिक हो जाती है, या कोई भी राशि तुलनपत्र की तिथि को निरन्तर 90 दिनों के लिए जमा नहीं है अथवा ये जमाराशियाँ उसी अवधि के दौरान देय ब्याज का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त हैं;
- क्रय किए गए/बट्टाकृत बिलों के संबंध में, बिल 90 दिनों की अवधि से अधिक अतिदेय रहते हैं;
- अल्पावधि फसलों के लिए कृषि अग्रिमों के संबंध में, जहाँ मूलधन की किस्त या ब्याज 02 फसल-ऋतुओं के लिए अतिदेय रहते हैं;
- दीर्घावधि फसलों के लिए कृषि अग्रिमों के संबंध में, जहाँ मूलधन या ब्याज एक फसल -ऋतु के लिए अतिदेय रहते हैं।

3.2 अनर्जक अग्रिमों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर अव-मानक, संदिग्ध और हानिप्रद आस्तियों में वर्गीकृत किया गया है:

- अव-मानक : कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों या उससे कम अवधि के लिए अनर्जक रह गई है।

and accounted for in the Repo/Reverse Repo Accounts, and the entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as interest expenditure/income, as the case may be. Balance in Repo/Reverse Repo Account is adjusted against the balance in the Investment Account.

- Securities purchased / sold under LAF with RBI are debited / credited to Investment Account and reversed on maturity of the transaction. Interest expended / earned thereon is accounted for as expenditure / revenue.

3. Loans /Advances and Provisions thereon:

3.1 Loans and Advances are classified as performing and non-performing, based on the guidelines issued by the RBI. Loan assets become non-performing where:

- In respect of term loan, interest and/or instalment of principal remains overdue for a period of more than 90 days;
- In respect of an Overdraft or Cash Credit advance, the account remains “out of order”, i.e. if the outstanding balance exceeds the sanctioned limit/ drawing power continuously for a period of 90 days, or if there are no credits continuously for 90 days as on the date of balance-sheet, or if the credits are not adequate to cover the interest due during the same period;
- In respect of bills purchased/ discounted, the bill remains overdue for a period of more than 90 days;
- In respect of agricultural advances for short duration crops, where the instalment of principal or interest remains overdue for 2 crop seasons;
- In respect of agricultural advances for long duration crops, where the principal or interest remains overdue for one crop season.

3.2 Non-Performing advances are classified into sub-standard, doubtful and loss assets, based on the following criteria stipulated by RBI:

- Sub-standard: A loan asset that has remained non-performing for a period less than or equal to 12 months.





- ii. संदिग्ध : कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों की अवधि के लिए अव-मानक वर्ग में रह गई है।
- iii. हानिप्रद : कोई ऋण आस्ति, जिसमें हानि का अभिज्ञान हो गया है किन्तु उस राशि को पूर्णतया बट्टे खाते में नहीं डाला गया है।
- 3.3 अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान विनियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार किए गए हैं और ये भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित निम्नलिखित न्यूनतम प्रावधान मानदंड के अधीन किए गए हैं:

अव-मानक आस्तियाँ :

- i. 10% का सामान्य प्रावधान
- ii. ऋण जोखिमों, जो प्रारंभ से ही अप्रतिभूत हैं, के लिए 10% का अतिरिक्त प्रावधान (जहाँ प्रतिभूति का वसूली - मूल्य प्रारंभ से ही 10% से अधिक नहीं है)

संदिग्ध आस्तियाँ :**प्रतिभूत भाग :**

- | | |
|-----------------------|------|
| i. एक वर्ष तक | 20% |
| ii. एक से तीन वर्ष तक | 30% |
| iii. तीन वर्ष से अधिक | 100% |
| अप्रतिभूत भाग | 100% |

हानिप्रद आस्तियाँ : 100%

- 3.4 विदेश स्थित कार्यालयों के अनर्जक अग्रिमों के संबंध में प्रावधान -स्थानीय विनियामकों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों में जो अधिक था उसके अनुसार किया गया है।
- 3.5 अनर्जक आस्तियों के विक्रय को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा - निर्देशों के अनुसार लेखे में किया गया है, जिसमें किसी घाटे (जहाँ विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य से कम है) के लिए प्रावधान किया जाना आवश्यक है, जबकि अधिशेष को (जहाँ विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य से ज्यादा है) को शामिल नहीं किया गया है। निवल बही मूल्य रखे गए विशिष्ट प्रावधान तथा भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (इसीजीसी) के प्राप्त दावों से घटाने पर बकाया है।
- 3.6 अग्रिमों में से विशिष्ट ऋण पर किए गए हानिप्रद प्रावधानों, अप्राप्त ब्याज, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (इसीजीसी) के प्राप्त दावों और बट्टाकृत बिलों को घटा दिया गया है।
- 3.7 पुनर्संरचनागत / पुनः निर्धारित आस्तियों के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा -निर्देशों के अनुसार किए गए हैं, जिसके अनुरूप मूल - ऋण करार के अनुसार भविष्यगत बकाया

- ii. Doubtful: A loan asset that has remained in the sub-standard category for a period of 12 months.
- iii. Loss: A loan asset where loss has been identified but the amount has not been fully written off.

- 3.3 Provisions are made for NPAs as per the extant guidelines prescribed by the regulatory authorities, subject to minimum provisions as prescribed below by the RBI:

Substandard Assets:

- i. A general provision of 10%
- ii. Additional provision of 10% for exposures which are unsecured ab-initio (where realisable value of security is not more than 10 percent ab-initio)

Doubtful Assets:**Secured portion:**

- | | |
|----------------------------|------|
| i. Upto one year | 20% |
| ii. One to three years | 30% |
| iii. More than three years | 100% |

Unsecured portion 100%

Loss Assets: 100%

- 3.4 In respect of foreign branches/subsidiaries, provisions for non performing advances are made as per the local regulations or as per the norms of RBI, whichever is higher.
- 3.5 The sale of NPAs is accounted as per guidelines prescribed by the RBI, which requires provisions to be made for any deficit (where sale price is lower than the net book value), while surplus (where sale price is higher than the net book value) is ignored. Net book value is outstanding as reduced by specific provisions held and ECGC claims received.
- 3.6 Advances are net of specific loan loss provisions, unrealised interest, ECGC claims received and bills rediscounted.
- 3.7 For restructured/rescheduled assets, provisions are made in accordance with the guidelines issued by RBI, which requires that the present value of future interest due as per the original loan agreement, compared with the present value of the interest expected to be earned under the restructuring package, be provided in addition to provision for NPAs. The





- ब्याज के वर्तमान मूल्य की पुनर्संचित पैकेज के अंतर्गत सम्भावित ब्याज - आय से तुलना करने के बाद उक्त राशि की अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधान के अतिरिक्त प्रावधान किया जाएगा. उत्सर्जित ब्याज के प्रावधान को अग्रिम से घटाया नहीं गया है और इसे तुलनपत्र के “अन्य देयताएँ - अन्य” शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया गया है।
- 3.8 अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में, विनियामकों द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप होने पर ही किसी खाते को अर्जक खाते के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है।
- 3.9 पूर्ववर्ती वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के सापेक्ष वसूली गई राशि का निर्धारण राजस्व के रूप में किया गया है.
- 3.10 पिछले वर्ष अग्रिमों के संदर्भ में रेखांकित किए गए ऐसे गैर-वसूलीकृत ब्याज जो चालू वर्ष के दौरान अनर्जक हो गए हैं, उनके लिए प्रावधान किया गया है।
- 3.11 अनर्जक आस्तियों पर विशिष्ट प्रावधान के अतिरिक्त, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किए गए हैं। निवल अनर्जक आस्तियों की स्थिति की जानकारी के लिए मानक आस्तियों पर प्रावधानों को गणना में शामिल नहीं किया गया है. ये प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 के “अन्य देयताएँ और प्रावधान - अन्य” शीर्ष के अन्तर्गत प्रदर्शित हैं।
- 4. देशवार ऋण-जोखिम के लिए प्रावधान:**
- आस्ति वर्गीकरण की स्थिति के अनुरूप किए गए विशिष्ट प्रावधान के अतिरिक्त पृथक् देशवार ऋण जोखिम (निजी देश के अलावा) के लिए प्रावधान किए गए हैं. इन देशों का वर्गीकरण सात जोखिम यथा नगण्य, कम, सामान्य, अधिक, अत्यधिक, प्रतिबंधित एवं ऋण में शामिल न होने वाले वर्गों में किया गया है, तथा यह प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशा - निर्देशों के अनुसार किया गया है. यदि प्रत्येक देश से संबंधित बैंक का देशवार ऋण जोखिम (निवल) कुल निधिक आस्तियों के 1% से अधिक नहीं है तो ऐसे देशवार ऋण जोखिम पर कोई प्रावधान नहीं किया गया है.
- 5. डेरीवेटिव्स :**
- 5.1 बैंक फिलहाल ब्याज दर डेरीवेटिव्स अर्थात् रुपया ब्याज दर विनिमय, मुद्रा विनिमय, परस्पर मुद्रा ब्याज दर विनिमय, वायदा दर करार और मुद्रा डेरीवेटिव्स अर्थात् विकल्प और मुद्रा वायदा तथा इस प्रकार के मूल लिखतों की विभिन्न संमिश्र श्रेणियों में कार्य करता है. इनका उपयोग बैंक व्यापार और अथवा अपने ग्राहकों की ओर से सौदा करने तथा तुलनपत्र की / तुलनपत्र के इतर आस्तियों और देयताओं की प्रतिरक्षा के लिए - विनियामकों द्वारा निर्धारित “प्रतिरक्षा - प्रभावोत्पादकता” के तहत लेन-देन करता है.
- provision for interest sacrifice is not reduced from advances and is included in the balance sheet under the head “Other Liabilities-Others”.
- 3.8 In the case of loan accounts classified as NPAs, an account may be reclassified as a performing account if it conforms to the guidelines prescribed by the regulators.
- 3.9 Amounts recovered against debts written off in earlier years are recognised as revenue.
- 3.10 Unrealised Interest recognised in the previous year on advances which have become non-performing during the current year, is provided for.
- 3.11 In addition to the specific provision on NPAs, general provisions are also made for standard assets as per the extant guidelines prescribed by the RBI. The provisions on standard assets are not reckoned for arriving at net NPAs. These provisions are reflected in Schedule 5 of the balance sheet under the head “Other Liabilities & Provisions – Others.”
- 4. Provision for Country Exposure:**
- In addition to the specific provisions held according to the asset classification status, provisions are held for individual country exposures (other than the home country). Countries are categorised into seven risk categories, namely, insignificant, low, moderate, high, very high, restricted and off-credit, and provisioning made as per extant RBI guidelines. If the country exposure (net) of the bank in respect of each country does not exceed 1% of the total funded assets, no provision is maintained on such country exposures.
- 5. Derivatives:**
- 5.1 The Bank presently deals in Interest Rate Derivatives viz., Rupee Interest Rate Swaps, Cross Currency Interest Rate Swaps, Forward Rate Agreements and Currency Derivatives viz., Options and Currency Forwards and a mix of these generic instruments for trading and /or to cover deals done on behalf of customers and also to hedge on-balance sheet / off-balance sheet assets and liabilities that meet the criteria of ‘hedge-effectiveness’ as laid down by regulators.





5.2 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा - निर्देशों के अनुसार, डेरीवेटिव्स का मूल्यांकन निम्नवत किया जाता है :

क. व्यापार के लिए प्रयुक्त डेरीवेटिव्स को बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित किया गया है और निवल मूल्यवृद्धि / मूल्यहास को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है.

ख. प्रतिरक्षा के लिए प्रयुक्त डेरीवेटिव्स निम्नवत हैं :

1. जहाँ अन्तर्निहित आस्ति / देयताओं को बाजार के बही मूल्य के अनुसार चिन्हित किया गया है - वहाँ बाजार के बही मूल्य के अनुसार इनके परिणामी लाभ/हानि का अभिज्ञान लाभ और हानि खाते में किया गया है.

ii. जहाँ अन्तर्निहित आस्ति/देयताओं को बाजार के बही मूल्य के अनुसार चिन्हित नहीं किया गया है वहाँ इन्हें प्रोद्भवन आधार पर लेखे में लिया गया है.

डेरीवेटिव के प्रत्येक प्रकार की बाजार के बही मूल्य की निवल बकाया स्थिति को आस्ति अथवा देयता में, जो भी स्थिति हो, दर्शाया गया है.

5.3 विदेशी मुद्रा ओटीसी ऑप्शन के मामले में बिक्री किए गए ऑप्शन पर प्राप्त प्रीमियम और क्रय ऑप्शन पर भुगतान किए गए प्रीमियम का अभिज्ञान आय / व्यय के रूप में किया जाता है.

6. अचल आस्तियाँ और मूल्यहास:

6.1 अचल आस्तियों का संचित मूल्यहास से कम लागत पर अंकन किया गया है.

6.2 लागत में क्रय लागत तथा समस्त व्यय, जैसे कि स्थान की तैयारी, संस्थापन लागत और आस्ति पर उसका उपयोग करने से पूर्व वहन की गई फीस शामिल हैं. उपयोग की गई आस्तियों पर वहन किए गए अनुवर्ती व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया गया है, जब ये व्यय इन आस्तियों से होने वाले भावी लाभ को/इन आस्तियों की व्यावहारिक क्षमता को बढ़ाते है.

6.3 आयकर नियम 1962 के अंतर्गत निर्धारित दरों की च्हासित मूल्य पद्धति पर प्रबंधन द्वारा उचित समझे गए मूल्य-हास का प्रावधान किया गया है. इस देशी परिचालन के संबंध में

5.2 Based on RBI guidelines, Derivatives are valued as under:

a. Derivatives used for trading are marked to market and net appreciation / depreciation is recognised in the Profit and Loss Account.

b. Derivatives used for hedging are:

i. Marked to Market in cases where the underlying Asset / Liabilities are marked to market. The resultant gain / loss are recognised in Profit and Loss Account.

ii. Accounted on accrual basis in cases where the underlying Assets / Liabilities are not marked to market.

The net outstanding marked to market position of each type of derivative shown either under Asset or Liability, as the case may be.

5.3 In case of forex OTC options the premium received on options sold and premium paid on options bought are recognised as income/ expenditure.

6. Fixed Assets and Depreciation:

6.1 Fixed assets are carried at cost less accumulated depreciation.

6.2 Cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation costs and professional fees incurred on the asset before it is put to use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalised only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.

6.3 Depreciation is provided on the written down value method at the rates prescribed under the Income Tax Rules 1962, which are considered appropriate by the management. The rates of depreciation and method of charging depreciation in





मूल्य-हास की दरें और मूल्य-हास प्रभारित करने की पद्धति का विवरण निम्नानुसार है :

क्रम सं.	अचल आस्तियों का विवरण	मूल्य-हास प्रभारित करने की पद्धति	मूल्य-हास/ परिशोधन दर
1	कंप्यूटर	सीधी कटौती प्रणाली	33.33% प्रति वर्ष
2	हार्डवेयर के अभिन्न अंग के रूप में शामिल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	हासित मूल्य पद्धति	60%
3	हार्डवेयर के अभिन्न अंग के रूप में न शामिल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	सीधी कटौती प्रणाली	अभिग्रहण वर्ष में 100%
4	31 मार्च 2001 तक वित्तीय पट्टे पर दी गई आस्तियाँ	सीधी कटौती प्रणाली	कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन निर्धारित दर पर
5	अन्य अचल आस्तियाँ	हासित मूल्य पद्धति	आयकर नियम 1962 के अधीन निर्धारित दर पर

6.4 वर्ष के दौरान देशी परिचालनों से प्राप्त आस्तियों के संबंध में मूल्य-हास 182 दिनों तक प्रयुक्त आस्तियों पर अर्द्धवर्ष के लिए तथा 182 दिनों से अधिक प्रयुक्त आस्तियों पर पूरे वर्ष के लिए प्रभारित किया गया है, जबकि कंप्यूटरों और साफ्टवेयर पर मूल्य-हास - इस आस्ति का उपयोग करने की अवधि से निरपेक्ष पूरे वर्ष के लिए प्रभारित किया गया है।

6.5 ऐसी मदें जिनमें से प्रत्येक का मूल्य रु.1000/- से कम हो उन्हें क्रय वर्ष में ही बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

6.6 पट्टाकृत परिसरों से सम्बद्ध पट्टा प्रीमियम, यदि हो तो, को पट्टा अवधि पर परिशोधित किया गया है और पट्टा किराया को उसी वर्ष प्रभारित किया गया है।

6.7 बैंक द्वारा 31 मार्च 2001, को या उससे पूर्व पट्टे पर दी गई आस्तियों के संबंध में पट्टे पर दी गई आस्तियों के मूल्य को पट्टाकृत आस्तियों के रूप में अचल आस्तियों के अंतर्गत दर्शाया गया है और वार्षिक पट्टा शुल्क (पूँजी-वसूली) एवं मूल्यहास के अंतर को पट्टा समानीकरण लेखे में लिया गया है।

6.8 विदेश स्थित कार्यालयों में धारित अचल आस्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान संबंधित देशों के स्थानीय विनियमों/मानदंडों के अनुसार किया गया है।

7. पट्टे:

7.1 बैंक द्वारा 01 अप्रैल 2001 को या उसके पश्चात् वित्तीय पट्टे पर दी गई आस्तियाँ लेखा मानक 19 के अनुसार लेखे में ली गई हैं। ये आस्तियाँ अन्य आस्तियों के अन्तर्गत शामिल की गई हैं।

respect of domestic operations are as under:

Sr. No.	Description of fixed assets	Method of charging depreciation	Depreciation/ amortisation rate
1	Computers	Straight Line Method	33.33% every year
2	Computer software forming an integral part of hardware	Written Down Value Method	60%
3	Computer Software which does not form an integral part of hardware	Straight Line Method	100%, in the year of acquisition
4	Assets given on financial lease upto 31 st March 2001	Straight Line Method	At the rate prescribed under Companies Act 1956
5	Other fixed assets	Written down value method	At the rate prescribed under Income-tax Rules 1962

6.4 In respect of assets acquired for domestic operations during the year, depreciation is charged for half an year in respect of assets used for upto 182 days and for the full year in respect of assets used for more than 182 days, except depreciation on computers and software, which is charged for the full year irrespective of the period for which the asset was put to use.

6.5 Items costing less than Rs. 1,000 each are charged off in the year of purchase.

6.6 In respect of leasehold premises, the lease premium, if any, is amortised over the period of lease and the lease rent is charged in the respective year.

6.7 In respect of assets given on lease by the Bank on or before 31st March 2001, the value of the assets given on lease is disclosed as Leased Assets under fixed assets, and the difference between the annual lease charge (capital recovery) and the depreciation is taken to Lease Equalisation Account.

6.8 In respect of fixed assets held at foreign branches/subsidiaries, depreciation is provided as per the regulations /norms of the respective countries.

7. Leases:

7.1 Assets given on financial lease by the Bank on or after 1st April 2001 are accounted as per Accounting Standard 19. Such assets are included under Other Assets.





7.2 आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों के लिए लागू प्रावधानीकरण मानदंडों का उपरोक्त अनुच्छेद 3 में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार इन वित्तीय पट्टों में प्रयोग किया गया है।

8. आस्तियों की अपसामान्यता:

जब कभी घटनाएँ अथवा स्थितियों में परिवर्तन यह संकेत देते हैं कि किसी आस्ति की अग्रानीत राशि की वसूली संदिग्ध है तो ऐसी स्थिति में अचल आस्तियों की अपसामान्यता हेतु समीक्षा की जाती है। धारित और प्रयोग की जाने वाली आस्ति की वसूली हो पाएगी या नहीं इसे मापने के लिए आस्ति के अग्रानीत मूल्य की तुलना आस्ति द्वारा अपेक्षित भविष्यगत निवल बट्टाकृत नकदी प्रवाह से तुलना करके ज्ञात की जाती है। यदि ऐसी आस्तियों को अपसामान्यता के योग्य पाया जाता है तो अपसामान्यता का माप-अभिज्ञान उस अधिक राशि के आधार पर किया जाता है जो आस्ति के अग्रानीत मूल्य और उसके उचित मूल्य के बीच का अंतर है।

9. विदेशी मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का प्रभाव :

9.1 विदेशी मुद्रा लेन-देन:

- विदेशी मुद्रा लेन-देन को लेन-देन की तिथि को सूचित मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर की विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में प्रारंभिक निर्धारण पर दर्ज किया गया है।
- विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की सूचना भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडई) की अंतिम तत्काल दरों के प्रयोग से की गई है।
- विदेशी मुद्रा गैर मौद्रिक मदों, जो अवधिगत लागत के आधार पर ली गई हैं, की सूचना लेन-देन की तिथि को प्रचलित मुद्रा विनिमय दर के प्रयोग से की गई है।
- विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आकस्मिक देयताओं की सूचना फेडई की अंतिम तत्काल दर के प्रयोग से की गई है।
- व्यवसाय के लिए रखी गई बकाया तत्काल विदेशी मुद्रा विनिमय तथा वायदा संविदाओं को इनकी निर्धारित परिपक्वता के लिए फेडई द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।
- विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं, जो व्यवसाय के लिए अपेक्षित नहीं हैं और तुलनपत्र की तिथि को बकाया हैं, का अंतिम तत्काल दर पर मूल्यांकन किया गया है। ऐसी वायदा विनिमय संविदा के प्रारंभ से उद्भूत प्रीमियम या

7.2 The asset classification and provisioning norms applicable to advances, as laid down in Para 3 above, are applied to such financial leases.

8. Impairment of Assets:

Fixed Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to future net discounted cash flows expected to be generated by the asset. If such assets are considered to be impaired, the impairment to be recognised is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the fair value of the asset.

9. Effect of changes in the foreign exchange rate:

9.1 Foreign Currency Transactions:

- Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the date of transaction.
- Foreign currency monetary items are reported using the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) closing spot rates.
- Foreign currency non-monetary items, which are carried in terms at historical cost, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.
- Contingent liabilities denominated in foreign currency are reported using the FEDAI closing spot rates.
- Outstanding foreign exchange spot and forward contracts held for trading are revalued at the exchange rates notified by FEDAI for specified maturities, and the resulting profit or loss is included in the Profit or Loss account.
- Foreign exchange forward contracts which are not intended for trading and are outstanding at the balance sheet date, are valued at the closing spot rate. The premium or discount arising at the inception of such a forward exchange contract is





बट्टे को संविदा की परिपक्वता अवधि के व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया गया है।

- vii. मौद्रिक मदों के निर्धारण से उद्भूत विनिमय अंतर राशियों को उन दरों, जो दरे आरंभ से दर्ज की गई थीं, से भिन्न दरों पर उस अवधि, जिसमें ये दरें उद्भूत हुई हैं, के आय या व्यय के रूप में निर्धारित किया गया है।

9.2 विदेशी परिचालन:

बैंक की विदेश स्थित शाखाओं और समुद्रपारीय बैंकिंग इकाइयों को असमाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और प्रतिनिधि कार्यालयों को समाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

क. असमाकलित परिचालन:

- असमाकलित विदेशी परिचालनों की दोनों मौद्रिक और गैर-मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं देयताओं तथा आकस्मिक देयताओं को तुलनपत्र तिथि को फेडई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है।
- असमाकलित विदेशी परिचालनों के आय एवं व्यय को तिमाही औसत की अंतिम दर पर रूपांतरित किया गया है।
- निवल विनिधान के निपटान होने तक असमाकलित विदेशी परिचालनों से उद्भूत विनिमय अंतर-राशियों का संचयन विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षिति में किया गया है।

ख. समाकलित परिचालन:

- विदेशी मुद्रा लेन-देन को लेन-देन की तिथि की सूचित मुद्रा और विदेशी मुद्रा में विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में आरंभिक अभिज्ञान पर दर्ज किया गया है।
- समाकलित विदेशी परिचालनों की मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को तुलनपत्र की तिथि को फेडई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है और परिणामी लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।
- अवधिगत लागत के अनुरूप अग्रानीत विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों की सूचना लेनदेन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर के प्रयोग से की गई है।

amortised as expense or income over the life of the contract.

- vii. Exchange differences arising on the settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognised as income or as expense in the period in which they arise.

9.2 Foreign Operations:

Foreign Branches of the Bank and Offshore Banking Units have been classified as Non-integral Operations and Representative Offices have been classified as Integral Operations.

a. Non-integral Operations:

- Both monetary and non-monetary foreign currency assets and liabilities including contingent liabilities of non-integral foreign operations are translated at closing exchange rates notified by FEDAI at the balance sheet date.
- Income and expenditure of non-integral foreign operations are translated at quarterly average closing rates.
- Exchange differences arising on net investment in non-integral foreign operations are accumulated in Foreign Currency Translation Reserve until the disposal of the net investment.

b. Integral Operations:

- Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the date of transaction.
- Monetary foreign currency assets and liabilities of integral foreign operations are translated at closing exchange rates notified by FEDAI at the balance sheet date and the resulting profit/loss is included in the profit and loss account.
- Foreign currency non-monetary items which are carried in terms of historical cost are reported using the exchange rate at the date of the transaction.



**10. कर्मचारी हितलाभ :****10.1 अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ :**

अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ यथा चिकित्सा हितलाभ, आकस्मिक अवकाश आदि की बट्टारहित राशि को, जिसको कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा के विनिमय में प्रदान किया जाना अपेक्षित है, कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा अवधि के दौरान शामिल किया गया है।

10.2 नौकरी उपरांत हितलाभ :**i. नियत हितलाभ योजना :**

- क. समूह की कंपनियों में अलग अलग भविष्य निधि योजनाएँ लागू हैं, भविष्य निधि योजना के अंतर्गत सभी पात्र कर्मचारी यह हितलाभ प्राप्त करने के हकदार हैं. समूह की कंपनियाँ निर्धारित दर पर मासिक अंशदान करती हैं. इन अंशदान को, इस उद्देश्य के लिए स्थापित न्यास में विप्रेषित कर दिया गया है तथा लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया गया है. समूह की कंपनियाँ, वार्षिक अंशदान और ब्याज देने के लिए उत्तरदायी हैं. यह ब्याज - दर देय निर्दिष्ट न्यूनतम ब्याज दर के बराबर होती है. कंपनियाँ - इस प्रकार के वार्षिक अंशदानों और उस पर ब्याज को संबंधित वर्ष के संदर्भ में व्यय मानती हैं.
- ख. समूह की कंपनियाँ, ग्रेच्युटी, पेंशन जैसी नियत हितलाभ योजनाएँ परिचालित करती है.
- ग. समूह की कंपनियाँ, सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान करती हैं. यह हितलाभ कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति, नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाने अथवा नौकरी की समाप्ति पर एकमुश्त राशि के भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है. यह राशि सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए देय 15 दिनों के मूलवेतन के समतुल्य राशि जो सेवा नियमावली में निर्धारित उच्चतम सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए. यह हितलाभ सेवा के पांच वर्ष पूरे होने पर ही प्राप्त होता है. बैंक इस राशि का वार्षिक अंशदान स्वतंत्र बाह्य वास्तविक मूल्यन के आधार पर न्यासियों द्वारा नियंत्रित निधि में करता है.

10. Employee Benefits:**10.1 Short Term Employee Benefits:**

The undiscounted amount of short-term employee benefits, such as medical benefits, casual leave etc. which are expected to be paid in exchange for the services rendered by employees are recognised during the period when the employee renders the service.

10.2 Post Employment Benefits:**i. Defined Benefit Plan:**

- a. The group entities operate separate Provident Fund schemes. All eligible employees are entitled to receive benefits under the Provident Fund scheme. The group entities contribute monthly at a determined rate. These contributions are remitted to a trust established for this purpose and are charged to Profit and Loss Account. The group entities are liable for annual contributions and interests, which is payable at minimum specified rate of interest. The entities recognise such annual contributions and interest as an expense in the year to which they relate.
- b. The group entities operate gratuity and pension schemes, which are defined benefit plans.
- c. The group entities provide for gratuity to all eligible employees. The benefit is in the form of lump sum payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment, for an amount equivalent to 15 days basic salary payable for each completed year of service, subject to a ceiling in terms of service rules. Vesting occurs upon completion of five years of service. The Bank makes annual contributions to a fund administered by trustees based on an independent external actuarial valuation carried out annually.
- d. Some group entities provide for pension to all eligible employees. The benefit is in the form of





घ. समूह की कुछ कंपनियाँ सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करती हैं। यह हितलाभ नियमानुसार मासिक भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है और पेंशन का यह नियमित भुगतान कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति, नौकरी के दौरान मृत्यु होने या नौकरी की समाप्ति पर किया जाता है। यह हितलाभ नियमानुसार विभिन्न चरणों में प्राप्त होता है। कंपनियाँ इस राशि का वार्षिक अंशदान स्वतंत्र वाह्य वास्तविक मूल्यन के आधार पर न्यासियों द्वारा नियंत्रित निधि में करता है।

ङ नियत हितलाभ-प्रावधान - लागत को प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि पर अग्रानीत वास्तविक मूल्यन के आधार पर अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से निर्धारित किया गया है। वास्तविक लाभ/हानि को लाभ और हानि विवरण में तुरन्त शामिल कर दिया गया है और उन्हें आस्थगित नहीं किया गया है।

ii. कर्मचारियों के अन्य दीर्घावधि हितलाभ :

क. समूह का प्रत्येक कर्मचारी प्रतिपूरित अनुपस्थिति, रजत जयंती सम्मान और अवकाश यात्रा - रियायत, सेवानिवृत्ति लाभ और पुनर्वासन भत्ते का पात्र होता है। इस प्रकार की दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ की लागत का वित्तपोषण बैंक द्वारा आंतरिक स्तर पर किया गया है।

ख. अन्य दीर्घावधि के हितलाभ के प्रावधान की लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि को वास्तविक मूल्यन की अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से किया गया है। पूर्ववर्ती सेवा लागत को लाभ और हानि विवरण में तुरन्त शामिल कर दिया गया है और उन्हें आस्थगित नहीं किया गया है।

11. कर निर्धारण के लिए प्रावधान :

11.1 वर्तमान कर, आस्थगित कर तथा अनुषंगी लाभ-कर प्रभार की कुल राशि आय कर व्यय है। चालू वर्ष के करों का निर्धारण लेखा मानक 22 और भारत में प्रचलित कर नियमों के अनुसार विदेश स्थित कार्यालयों के संबंधित देशों के कर नियमों का समायोजन करके किया गया है। आस्थगित कर आस्तियों या देयताओं में उस अवधि के दौरान हुए उतार-चढ़ाव आस्थगित कर समायोजन में समाविष्ट हैं।

monthly payments as per rules and regular payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment. Vesting occurs at different stages as per rules. The entities make annual contributions to funds administered by trustees based on an independent external actuarial valuation carried out annually.

e. The cost of providing defined benefits is determined using the projected unit credit method, with actuarial valuations being carried out at each balance sheet date. Actuarial gains/losses are immediately recognised in the statement of profit and loss and are not deferred.

ii. Other Long Term Employee benefits:

a. All eligible employees of the group are eligible for compensated absences, silver jubilee award, leave travel concession, retirement award and resettlement allowance. The costs of such long term employee benefits are internally funded by the Bank.

b. The cost of providing other long term benefits is determined using the projected unit credit method with actuarial valuations being carried out at each balance sheet date. Past service cost is immediately recognised in the statement of profit and loss and is not deferred.

11. Provision for Taxation:

11.1 Income tax expense is the aggregate amount of current tax, deferred tax and fringe benefit tax charge. Current year taxes are determined in accordance with the provisions of Accounting Standard 22 and tax laws prevailing in India after taking into account taxes of foreign branches/subsidiaries, which are based on the tax laws of respective jurisdiction. Deferred tax adjustments comprise of changes in the deferred tax assets or liabilities during the period.





11.2 आस्थगित कर - आस्तियों और देयताओं का आकलन अधिनियमित कर - दरों और कर - कानूनों अथवा तुलनपत्र - तिथि के काफी पूर्व अधिनियमित दरों और कानून के आधार पर किया गया है. आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं का अभिज्ञान विवेकपूर्ण आधार पर-आस्तियों और देयताओं के अग्रानीत मूल्य और उनके क्रमशः कर-आधार और अग्रानीत क्षतियों के बीच अवधिगत विभेद को ध्यान में रखकर किया गया है. आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं में हुए परिवर्तन का प्रभाव लाभ और हानि खाते में प्रकट किया गया है.

11.3 आस्थगित कर आस्तियों को, वसूली की निश्चितता होने के प्रबंधन के निर्णय के आधार पर, प्रत्येक सूचित तिथि को रेखांकित और पुनर्निर्धारित किया गया है. जब यह पूर्ण रूप से सुनिश्चित हो गया है कि ऐसी आस्थगित - कर - आस्तियों की वसूली भावी लाभ से की जा सकती है, तब आस्थगित-कर - आस्तियों का अभिज्ञान अनवशोषित मूल्य-हास और कर हानियों के अग्रेषण पर किया गया है.

11.2 Deferred tax assets and liabilities are measured using tax rates and tax laws that have been enacted or substantially enacted prior to the balance sheet date. Deferred tax assets and liabilities are recognised on a prudent basis for the future tax consequences of timing differences arising between the carrying values of assets and liabilities and their respective tax basis, and carry forward losses. The impact of changes in the deferred tax assets and liabilities is recognised in the profit and loss account.

11.3 Deferred tax assets are recognised and reassessed at each reporting date, based upon management's judgement as to whether realisation is considered certain. Deferred tax assets are recognised on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses only if there is virtual certainty that such deferred tax assets can be realised against future profits.

12. प्रति शेयर आय :

12.1 बैंक आइसीएआइ द्वारा जारी लेखा मानक 20 - “प्रति शेयर आय” के अनुसार प्रति शेयर मूल और कम हुई आय की रिपोर्ट करता है. प्रति शेयर मूल आय की गणना करोपरान्त निवल लाभ को उस वर्ष के लिए शेष इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है.

12.2 कम की हुई प्रति शेयर आय यह प्रदर्शित करती है कि यदि प्रतिभूतियों अथवा अन्य संविदाओं को वर्ष के दौरान जारी करने या संपरिवर्तित करने का विकल्प लिया गया तो शेयर मूल्यों में कितनी कमी आएगी. कम की हुई प्रति शेयर आय की गणना इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या और कम संभावना वाले इक्विटी शेयरों के बीच तुलना करके की जाती है.

12. Earning per Share:

12.1 The Bank reports basic and diluted earnings per share in accordance with AS 20 - 'Earnings per Share' issued by the ICAI. Basic earnings per share are computed by dividing the net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding for the year.

12.2 Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at year end.

13. प्रावधान, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों का लेखाकरण :

13.1 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक 29 के अनुसार जारी प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियों में बैंक पिछले परिणाम से उद्भूत वर्तमान दायित्व होने पर ही प्रावधान शामिल करता है, यह संभव है कि दायित्व के निर्धारण में आर्थिक लाभ को समाविष्ट करने वाले संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता पड़ेगी और तभी इस दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन किया जा सकता है.

13. Accounting for Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

13.1 In conformity with AS 29, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.





13.2 निम्नलिखित के लिए किसी प्रावधान का अभिज्ञान नहीं किया गया है

- i. पिछले परिणाम से उद्भूत किसी सम्भावित दायित्व के लिए और बैंक के नियंत्रण से बाहर होने वाले एक या अधिक अनिश्चित भावी परिणामों की प्राप्ति या अप्राप्ति से जिसकी पुष्टि की जा सकेगी; अथवा
- ii. किसी वर्तमान दायित्व के लिए, जो पिछले परिणामों से उद्भूत है, किन्तु उसे अभिज्ञान में नहीं लिया गया है, क्योंकि
 - क. यह संभव नहीं है कि दायित्व के निर्धारण में आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों का बहिर्गमन आवश्यक होगा; अथवा
 - ख. दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता.

ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया गया है. इन दायित्वों का नियमित अंतरालों पर मूल्यांकन किया जाता है और ऐसे दायित्व के केवल उस अंश का, जिसके आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना है, नितान्त दुर्लभ परिस्थितियों, जिनमें कोई विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता है, के अलावा प्रावधान किया गया है.

13.3 आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि आय के निर्धारण पर इसका प्रभाव पड़ सकता है, जबकि इसकी वसूली नहीं की जा सकती.

14. नकदी और नकदी समतुल्य :

नकदी और नकदी समतुल्य में हाथ नकदी एवं एटीएम में नकदी तथा धारित स्वर्ण, भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ, अन्य बैंकों में जमाराशियाँ तथा माँग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि शामिल हैं.

15. कर्मचारी शेयर क्रय योजना :

भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना दिशा - निर्देश, 1999 के अनुसार जिस मूल्य पर शेयर जारी किए जाते हैं उसकी तुलना में शेयर जारी किए जाने के एक दिन पूर्व के मूल्य में अंतर को कर्मचारी प्रतिपूर्ति लागत माना गया है.

16. शेयर जारी करने का व्यय :

शेयर जारी करने के व्यय को शेयर प्रीमियम खाते में प्रभारित किया गया है.

13.2 No provision is recognised for

- i. any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Bank; or
- ii. any present obligation that arises from past events but is not recognised because
 - a. it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; or
 - b. a reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are recorded as Contingent Liabilities. These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

13.3 Contingent Assets are not recognised in the financial statements as this may result in the recognition of income that may never be realised.

14. Cash and cash equivalents:

Cash and cash equivalents include cash on hand and in ATM's, and gold in hand, balances with RBI, balances with other banks, and money at call and short notice.

15. Employee Share Purchase Scheme:

In accordance with the Employee Stock Option Scheme and Employee Stock Purchase Scheme Guidelines, 1999 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), the excess of market price one day prior to the date of issue of the shares over the price at which they are issued is recognised as employee compensation cost.

16. Share Issue Expenses:

Share issue expenses are charged to the Share Premium Account.





अनुसूची - 18

लेखा-टिप्पणियाँ

(राशि करोड़ रुपये में)

1. **समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु विचार किए गए अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों की सूची:**

1.1 **समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय निम्नांकित 27 अनुषंगियों, 2 संयुक्त उद्यमों और 28 सहयोगियों (मूल संस्था भारतीय स्टेट बैंक के साथ समूह में सम्मिलित) को शामिल किया गया है :**

क) अनुषंगी

क्र. स.	अनुषंगी का नाम	निगमन- देश	समूह का जोखिम (%)
1.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	भारत	75.07
2.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	भारत	100.00
3.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	भारत	98.05
4.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	भारत	92.33
5.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	भारत	100.00
6.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	भारत	100.00
7.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	भारत	75.01
8.	एसबीआई कमर्शियल एण्ड इंटरनेशनल बैंक लिमिटेड	भारत	100.00
9.	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड	भारत	86.16
10.	एसबीआईसीएपी सेक्योरिटी लिमिटेड	भारत	86.16
11.	एसबीआईसीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	भारत	86.16
12.	एसबीआईसीएपीएस वेंचर्स लिमिटेड	भारत	86.16
13.	एसबीआई डीएफएचआइ लिमिटेड	भारत	65.95
14.	एसबीआई फैक्टर्स एण्ड कमर्शियल सर्विसेस प्रा. लिमिटेड	भारत	69.88
15.	एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	100.00
16.	ग्लोबल ट्रेड फाइनांस लिमिटेड	भारत	92.03
17.	स्टेट बैंक आफ इंडिया (कनाडा)	कनाडा	100.00
18.	स्टेट बैंक आफ इंडिया (कैलेफोर्निया)	यूएसए	100.00
19.	एसबीआई इंटरनेशनल (मॉरिशस) लि.	मॉरिशस	98.00
20.	इंडियन ओशियन इंटरनेशनल बैंक लि.	मॉरिशस	62.58

Schedule 18

NOTES ON ACCOUNTS

(Amount in Rupees in crore)

1. **List of Subsidiaries/Joint Ventures/Associates considered for preparation of consolidated financial statements:**

1.1 The 27 Subsidiaries, 2 Joint Ventures and 28 Associates (which along with State Bank of India, the parent, constitute the Group), considered in the preparation of the consolidated financial statements, are

A) **Subsidiaries**

Sr. No	Name of the Subsidiary	Country of Incorporation	Group's Stake (%)
1)	State Bank of Bikaner & Jaipur	India	75.07
2)	State Bank of Hyderabad	India	100.00
3)	State Bank of Indore	India	98.05
4)	State Bank of Mysore	India	92.33
5)	State Bank of Patiala	India	100.00
6)	State Bank of Saurashtra	India	100.00
7)	State Bank of Travancore	India	75.01
8)	SBI Commercial & International Bank Ltd	India	100.00
9)	SBI Capital Markets Ltd	India	86.16
10)	SBICAP Securities Ltd	India	86.16
11)	SBICAP Trustee Company Ltd	India	86.16
12)	SBICAPS Ventures Ltd	India	86.16
13)	SBI DFHI Ltd	India	65.95
14)	SBI Factors & Commercial Services Pvt Ltd	India	69.88
15)	SBI Mutual Fund Trustee Company Pvt Ltd	India	100.00
16)	Global Trade Finance Ltd	India	92.03
17)	State Bank of India (Canada)	Canada	100.00
18)	State Bank of India (California)	USA	100.00
19)	SBI International (Mauritius) Ltd	Mauritius	98.00
20)	Indian Ocean International Bank Ltd	Mauritius	62.58
21)	PT Bank Indomonex	Indonesia	76.00
22)	SBICAP (UK) Ltd	U.K.	86.16





21. पीटी बैंक इंडोमोनेक्स	इंडोनेशिया	76.00
22. एसबीआईसीएपी (यूके) लि.	यूके	86.16
23. एसबीआई कार्ड्स एण्ड पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड*	भारत	60.00
24. एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.*	भारत	63.00
25. एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.*	भारत	74.00
26. कमर्शियल बैंक आफ इंडिया लि. कं.*	रूस	60.00
27. एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्रा. लि.*	मॉरिशस	63.00

* ये इकाइयाँ संयुक्त रूप से नियंत्रित हैं।

ख. संयुक्त उद्यम

क्र. संयुक्त उद्यम का नाम	निगमन- देश	समूह का जोखिम (%)
1. सी-एज टेक्नोलॉजी लिमिटेड	भारत	49.00
2. जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	भारत	40.00

ग. सहयोगी

क्र. सहयोगी का नाम	निगमन- देश	समूह का जोखिम (%)
1. आंध्रप्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	भारत	35.00
2. अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक	भारत	35.00
3. छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक	भारत	35.00
4. इलाकाई देहाती बैंक	भारत	35.00
5. मेघालय रूरल बैंक (पूर्व का बैंक नानकिनडांग री खासी जैनटिया)	भारत	35.00
6. कृष्णा ग्रामीण बैंक	भारत	35.00
7. लांगपी देहांगी रूरल बैंक	भारत	35.00
8. मध्य भारत ग्रामीण बैंक	भारत	35.00
9. मिजोरम रूरल बैंक	भारत	35.00
10. नागालैंड रूरल बैंक	भारत	35.00
11. पर्वतीय ग्रामीण बैंक	भारत	35.00
12. पूर्वांचल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	भारत	35.00
13. समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	भारत	35.00

23) SBI Cards and Payment Services Pvt Ltd @	India	60.00
24) SBI Funds Management Pvt Ltd @	India	63.00
25) SBI Life Insurance Company Ltd @	India	74.00
26) Commercial Bank of India Llc @	Russia	60.00
27) SBI Funds Management (International) Private Ltd @	Mauritius	63.00

@ These entities are jointly controlled

B) Joint Ventures

Sr. No	Name of the Joint Venture	Country of Incorporation	Group's Stake (%)
1)	C Edge Technologies Ltd	India	49.00
2)	GE Capital Business Process Management Services Pvt Ltd	India	40.00

C) Associates:

Sr. No	Name of the Associate	Country of Incorporation	Group's Stake (%)
1)	Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank	India	35.00
2)	Arunachal Pradesh Rural Bank	India	35.00
3)	Chhatisgarh Gramin Bank	India	35.00
4)	Ellaquai Dehati Bank	India	35.00
5)	Meghalaya Rural Bank (erstwhile Ka Bank Nongkyndong Ri Khasi Jaintia)	India	35.00
6)	Krishna Grameena Bank	India	35.00
7)	Langpi Dehangi Rural Bank	India	35.00
8)	Madhya Bharat Gramin Bank	India	35.00
9)	Mizoram Rural Bank	India	35.00
10)	Nagaland Rural Bank	India	35.00
11)	Parvatiya Gramin Bank	India	35.00
12)	Purvanchal Kshetriya Gramin Bank	India	35.00
13)	Samastipur Kshetriya Gramin Bank	India	35.00
14)	Utkal Gramya Bank	India	35.00
15)	Uttaranchal Gramin Bank	India	35.00





14. उत्कल ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	16) Vananchal Gramin Bank	India	35.00
15. उत्तरांचल ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	17) Marwar Ganganagar Bikaner Gramin Bank	India	26.27
16. वनांचल ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	18) Vidisha Bhopal Kshetriya Gramin Bank	India	34.32
17. मारवाड गंगानगर बीकानेर ग्रामीण बैंक	भारत	26.27	19) Deccan Grameena Bank	India	35.00
18. विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	भारत	34.32	20) Cauvery Kalpatharu Grameena Bank	India	32.32
19. डेक्कन ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	21) Malwa Gramin Bank	India	35.00
20. कावेरी कल्पतरु ग्रामीण बैंक	भारत	32.32	22) Saurashtra Grameena Bank	India	35.00
21. मालवा ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	23) Clearing Corporation of India Ltd	India	28.97
22. सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	24) SBI Home Finance Ltd	India	25.05
23. क्लियरिंग कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	भारत	28.97	25) UTI Asset Management Company Pvt Ltd	India	25.00
24. एसबीआई होम फाइनेंस लिमिटेड	भारत	25.05	26) Bank of Bhutan	Bhutan	20.00
25. यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्रा. लि.	भारत	25.00	27) Nepal SBI Bank Ltd	Nepal	50.00
26. बैंक आफ भूटान	भूटान	20.00	28) S.S. Ventures Services Ltd	India	43.08
27. नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	नेपाल	50.00			
28. एसएस वेंचर्स सर्विसेस लि.	भारत	43.08			

1.2 वर्ष 2006-07 की तुलना में समेकन-प्रक्रिया में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं।

क. भारतीय स्टेट बैंक ने 'ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस लिमिटेड' (जीटीएफएल) की 91.00% इक्विटी पूंजी का 28 मार्च 2008 को अभिग्रहण किया। यह एक फैक्ट्रिंग कंपनी है जो भारत में निगमित है। इस पर रु. 520.56 करोड़ की लागत आई। बैंक ने उसी दिन अर्थात् 28 मार्च 2008 को उक्त कंपनी में रु. 75.00 करोड़ की नयी पूंजी का प्रवाह किया जिसके कारण बैंक के स्टैक में 1.03% की और अधिक वृद्धि हुई। तदनुसार जीटीएफएल के वित्तीय विवरणों का समेकन 28 मार्च 2008 से किया गया है। अभिग्रहण लागत और निवल इक्विटी के बीच रु. 357.33 करोड़ के अंतर को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी-लेखा मानक-21-समेकित वित्तीय विवरण के अनुसार 'गुडविल' के रूप में माना गया है।

ख. भारतीय स्टेट बैंक की अनुषंगी एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड ने स्वयं द्वारा 100% धारित एसबीआई कैपिटल वेंचर्स लि. नामक अनुषंगी को 50:50 संयुक्त उद्यम आधार पर 15 दिसम्बर 2007 को शुरू किया। इसे नालेज सेक्टर फंड के लिए स्थापित किया गया है। चूंकि भारतीय स्टेट बैंक की इस नई इकाई में धारिता 43.08% है। अतः इसे सहयोगी माना

1.2 The following changes have taken place in the consolidation process as compared to 2006-07.

- SBI has acquired 91.00% equity capital of Global Trade Finance Limited (GTFL), a factoring company incorporated in India, at a cost of Rs. 520.56 Crore on 28th March 2008 and has infused fresh equity capital of Rs 75.00 Crore thereby increasing its equity stake by further 1.03% on the same date. Accordingly, the financial statements of GTFL have been consolidated with effect from 28th March 2008. The difference of Rs. 357.33 Crore between acquisition cost and the net equity has been recognised as goodwill in accordance with Accounting Standard 21 - Consolidated Financial Statements issued by the Institute of Chartered Accountants of India.
- SBICAPS Ventures Limited, a 100% subsidiary of SBI Capital Markets Limited, a subsidiary of SBI, has floated a 50-50 joint venture, SS Ventures Services Limited on 15th December 2007 for setting up a knowledge sector fund. Since SBI's indirect holding in the new entity is 43.08%, it has been considered as an associate and has been consolidated as per Accounting Standard 23 - Accounting for investment in Associates in Consolidated Financial Statements.





गया है और लेखा मानक-23-समेकित वित्तीय विवरण में सहयोगियों में निवेश का लेखा - के अनुसार इसका समेकन किया गया है।

ग. वर्ष के दौरान-इंडियन ओशियन इंटरनेशनल बैंक लि. (आइओआइबी) में समूह का स्टेक 31 मार्च 2007 को 56.84% से बढ़कर 62.58% हो गया।

1.3 बैंक-समूह के दो सहयोगी-बैंक आफ भूटान (जार्जियन कलेंडर वर्ष) और नेपाल एसबीआई बैंक लि. (हिन्दू कलेंडर वर्ष) पैरेंट बैंक से भिन्न लेखा वर्ष का अनुपालन करते हैं। तदनुसार इनके वित्तीय विवरण क्रमशः 31 दिसम्बर 2007 और 16 जुलाई 2007 को तैयार किये गये।

2. शेयर - पूंजी :

क) वर्ष के दौरान, भारतीय रिजर्व बैंक ने, बैंक में अपनी 31,43,39,200 शेयरों की कुल शेयरधारिता को भारत सरकार को अंतरित कर दिया। उक्त शेयर बैंक की निर्गत पूंजी का 59.73% प्रतिनिधित्व करते हैं।

ख) वर्ष के दौरान, बैंक ने रु.10 नकदी मूल्य के 10,52,59,776 इक्विटी शेयर रु.1580 प्रति शेयर प्रीमियम पर, रु.1590 प्रति शेयर की दर से, रु. 16736.30 करोड़ की कुल राशि पर राइट्स के रूप में बिक्री किए। उपर्युक्त में से, बैंक ने 10,51,71,498 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों का आबंटन पात्र आवेदकों को किया जबकि रु.10 मूल्य के 88,278 इक्विटी शेयरों को रोके रखा - क्योंकि या तो ये विवादग्रस्त थे अथवा न्यायिक - प्रक्रिया के अधीन थे।

ग) भारत सरकार ने रु.10 प्रति शेयर और रु.1580 प्रीमियम के 6,28,68,000 इक्विटी शेयर - बैंक के राइट्स प्रस्ताव के अंतर्गत अंशस्वरूप ग्रहण किए। भारत सरकार ने कुल रु.9996.01 करोड़ की राशि के भुगतान के लिए '8.35% एसबीआई राइट्स इश्यू - भारत सरकार स्पेशल बांड 2024' को जारी किया। इन बांडों की बिक्री पर सरकार द्वारा कतिपय प्रतिबंध लगाए गए हैं।

घ) शेयरों को जारी करने पर हुए रु.28.70 करोड़ के व्यय को बैंक ने शेयर प्रीमियम एकाउन्ट के नामे किया है।

3. कर्मचारी स्टाक क्रय योजना :

3.1 केंद्रीय बोर्ड ने - कर्मचारी शेयर क्रय योजना (इस योजना) को अंगीकार किया है। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा यथाविधि अनुमोदित है। तदनुसार बैंक ने, रु.10 प्रति इक्विटी शेयर मूल्य तथा रु.1580 प्रीमियम के 86,17,500 इक्विटी शेयरों को, अपने राइट्स योजना

c. During the year the group's stake in Indian Ocean International Bank Ltd. (IOIB) has increased to 62.58% as against 56.84% as on 31st March 2007.

1.3 Two of the associates - Bank of Bhutan (Gregorian Calendar Year) and Nepal SBI Bank Ltd (Hindu Calendar Year) follow accounting years different from that of the parent. Accordingly, the financial statements of these associates are made as of 31st December 2007 and 16th July 2007 respectively.

2. Share Capital:

a) During the year, the RBI has transferred their entire shareholding of 31,43,39,200 shares in the parent representing 59.73% of the issued capital of the parent to the Government of India.

b) During the year, the parent has issued 10,52,59,776 equity shares of Rs. 10 each for cash at a premium of Rs. 1580 per equity share i.e. at Rs. 1590 per equity share aggregating to Rs. 16736.30 Crore on right basis. Of the above, the parent has allotted 10,51,71,498 fully paid equity shares to the eligible applicants, keeping in abeyance the allotment of 88,278 equity shares of Rs. 10 each which are subject matter of title disputes or are sub-judice.

c) The Government of India has subscribed to 6,28,68,000 equity shares of Rs.10 each at a premium of Rs. 1580 per share as part of rights offer of the parent. The Government has discharged the total consideration of Rs. 9996.01 Crore by issue of "8.35% SBI Rights Issue GOI Special Bonds 2024". Certain restrictions have been placed by the Government on the sale of these bonds.

d) Expenses in relation to the issue of shares amounting to Rs. 28.70 Crore have been debited to the Share Premium Account.

3. Employee Stock Purchase Scheme:

3.1 The Central Board of the parent has adopted the Employees Share Purchase Scheme (the Scheme), duly approved by the Central Government, and accordingly has approved the offer of 86,17,500 equity shares of Rs. 10 each at a premium of Rs. 1580 as part of its rights issue to the employees of the Parent including the Chairman and Managing Directors. The Scheme is in accordance with the provisions of the Securities and Exchange Board of India (Employee Stock Option Scheme and Employee Stock Purchase Scheme)





के अंतर्गत, बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों सहित अपने कर्मचारियों के लिए अनुमोदित किया है। यह योजना, भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड के दिशा-निर्देश, 1999 (कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टाक क्रय योजना) के प्रावधानों के अनुरूप है। यह योजना दिनांक 30 अप्रैल 2008 से बंद हो गई है।

3.2 अभी तक, इस योजना के अंतर्गत कोई इक्विटी शेयर नहीं जारी किया जा सका है क्योंकि मूल कंपनी अभी स्टाफ सदस्यों द्वारा अधिकार-उपयोग के परिणामस्वरूप आवेदित शेयरों की संख्या का समेकन करने की प्रक्रिया में है। मूल कंपनी ने कर्मचारी प्रतिपूर्ति - व्यय के लिए रु. 11.00 करोड़ का प्रावधान अनुमान आधार पर किया है।

4. लेखा मानकों के अनुसार प्रकटीकरण

4.1 प्रमुख लेखा करण नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन

i लाभांश - गणना

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक ने कारपोरेट निकायों के शेयरों पर लाभांश - गणना नीति को परिवर्तित किया है। अब वसूली आधार के बजाय - लाभांश - प्राप्ति अधिकार के स्थापित हो जाने के बाद लाभांश की गणना प्रोद्भवन आधार पर की गई है। परिणामस्वरूप, लाभांश आय और वर्ष के लाभ में रु. 4.68 करोड़ की वृद्धि हुई।

ii. 'परिपक्वता के लिए रखी गई प्रतिभूतियों' के प्रीमियम का परिशोधन

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 11 जुलाई 2007 के सामान्य स्पष्टीकरण की अपेक्षानुसार, बैंक ने 31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लिए, 'अर्जित आय' में सम्मिलित 'विनिधानों पर आय' में से सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रीमियम - परिशोधन को घटा दिया है। इसे पहले 'अन्य आय' में शामिल किया गया था और 31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लिए इसकी राशि रु.1669.69 करोड़ रही (31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के लिए यह राशि रु.1662.41 करोड़ थी)। चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप बनाने के लिए विगत वर्ष के आंकड़ों को पुनः वर्गीकृत किया गया है। लेखाकरण कार्यविधि में इस परिवर्तन का वर्ष के निवल लाभ पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

iii) विदेशी मुद्रा ओटीसी विकल्पों का बाजार-बही मूल्य के अनुसार लाभ/हानि

विदेशी मुद्रा ओटीसी विकल्पों का - बाजार-बही मूल्य के

Guidelines, 1999. The said scheme has since been closed on 30th April 2008.

3.2 As on date, no equity shares have been allotted, under the Scheme, since the parent is in the process of compiling the data on the number of shares to be issued pursuant to the exercise of the rights by the employees. The parent has made provision of Rs. 11.00 Crore towards employee compensation expenses on estimated basis.

4. Disclosures as per Accounting Standards:-

4.1 Significant changes in accounting policies:

i. Dividend Accounting

During the year the group has changed its accounting policy in respect of recognition of dividend on shares of corporate bodies from realisation basis to accrual basis where the right to receive the dividend is established. Consequently, the dividend income and the profit for the year are higher by Rs. 4.68 Crore.

ii. Amortisation of Premium on HTM Securities

As required by RBI general clarification dated July 11, 2007, the group has deducted the amortisation of premium on government securities, from "Income on investments" included in "Interest earned" which was earlier included in "Other income" amounting to Rs. 1669.69 Crore for the year ended March 31, 2008 (Rs. 1662.41 Crore for the year ended March 31, 2007) Prior year figures have been reclassified to conform to the current classification. This change in accounting procedure does not have any impact on the net profit for the year.

iii. Mark-to-Market gains / losses of Forex OTC options

The group has changed the accounting policy in respect of accounting of Mark-to-Market (MTM) gains / losses in case of forex OTC options, where-by the balance in premium received on options sold and premium paid on options bought have been considered from this year to arrive at MTM





अनुसार लाभ-हानि की लेखा नीति को बैंक ने परिवर्तित कर दिया है। इस नई लेखा नीति के अनुसार - बिक्री किए गए विकल्पों पर प्राप्त प्रीमियम का शेष और क्रय किए गए विकल्पों पर प्रदत्त प्रीमियम को - विदेशी मुद्रा ओटीसी विकल्पों के एमटीएम मूल्य का पता लगाने के लिए किया गया है। लेखा नीति में इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप - इस वर्ष के लाभ में रु.133.80 करोड़ की वृद्धि हुई है।

iv) खंड सूचना

वर्ष के दौरान, समूह ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप अपने प्राथमिक व्यवसाय खंडों को कोष, कारपोरेट/थोक बैंकिंग तथा खुदरा बैंकिंग व्यवसाय के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया है। समूह अब तक बैंकिंग परिचालन, राजकोषीय परिचालन और गैर-बैंकिंग परिचालन को प्राथमिक व्यवसाय के रूप में वर्गीकृत करता आया है।

v) कर्मचारी - हितलाभ

क) समूह अब तक पूर्ववर्ती लेखामानक 15 (1995) के अनुसार कर्मचारी 'सेवानिवृत्ति हितलाभ लेखाकरण' के लिए देयता का आकलन करता था। समूह ने 01 अप्रैल 2007 से लेखा मानक 15 (संशोधित - 2005) 'कर्मचारी - हितलाभ' योजना को अंगीकार किया है। परिणामस्वरूप उक्त तिथि को रु. 5848.46 करोड़ का अतिरिक्त दायित्व प्रोद्भूत हुआ है। इसमें से रु. 4527.02 करोड़ पेंशन निधि से संबंधित हैं और रु. 160.20 करोड़ (रु.39.18 करोड़ की आस्थगित कर आस्तियों को छोड़कर) ग्रेच्युटी से संबंधित है। रु. 578.26 करोड़ (रु. 262.13 करोड़ की आस्थगित कर आस्तियों को छोड़कर) दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभों से संबंधित है।

ख) समूह ने अतिरिक्त दायित्व को राजस्व और अन्य आरक्षितियों के नामे प्रभारित करने के विकल्प का प्रयोग किया है। तदनुसार, रु.5265.48 करोड़ का संक्रमणीय दायित्व (रु.582.98 करोड़ की आस्थगित कर आस्ति को छोड़कर) को राजस्व और अन्य आरक्षितियों में अंतरण करके लेखे में लिया गया है।

ग) लेखा मानक 15 (संशोधित 2005) के अभिग्रहण के परिणामस्वरूप कर पूर्व लाभ रु191.16 करोड़ से अधिक हो गया है।

vi) पूर्व अवधि मदें

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
मूल्यहास	36.70	(17.47)
परिचालन व्यय	32.49	16.38
व्यय किया गया ब्याज	-	264.76
अन्य आय	3.80	2.42

value for forex OTC options. Consequent to this change in the accounting policy, the profit for the year is higher by Rs. 133.80 Crore.

iv. Segment Reporting

During the year, the group has reclassified its primary segments as Treasury, Corporate/ Wholesale banking, retail banking business and other banking business, in line with the directions issued by RBI. The group had hitherto been classifying banking operations, treasury operations and non-banking operations as primary segments.

v. Employee Benefits

a) The group had hitherto been measuring the liability for employee retirement benefits as per the erstwhile AS 15 (1995) "Accounting for Retirement Benefits". The Bank has adopted AS 15 (Revised 2005) "Employee Benefits", effective from 1st April 2007. Consequently an additional obligation of Rs. 5848.46 Crore has accrued as on that date. Out of this, Rs. 4527.02 Crore (Net of deferred tax assets of Rs. 281.67 Crore) and Rs 160.20 Crore (Net of deferred tax assets of Rs.39.18 Crore) pertains to pension benefits and gratuity respectively. Rs. 578.26 Crore (Net of deferred tax assets of Rs. 262.13 Crore) pertains to long term employee benefits.

b) The group has exercised the option of charging the additional obligation to Revenue & Other Reserves. Accordingly, the transitional liability of Rs. 5265.48 Crore (net of deferred tax assets of Rs.582.98 Crore) has been accounted with transfer from Revenue & Other Reserves.

c) Consequent to the adoption of AS-15 (Revised 2005) profit before tax is higher by Rs. 191.16 Crore.

vi. Prior Period Items

Particulars	Current year	Previous year
Depreciation	36.70	(17.47)
Operating expenses	32.49	16.38
Interest expended	—	264.76
Other income	3.80	2.42



4.2 कर्मचारी - हितलाभ

4.2.1 नियत हितलाभ योजनाएँ

निम्न तालिका में लेखा मानक - 15 (संशोधित 2005) की अपेक्षानुसार नियत हितलाभ पेंशन योजना और ग्रेच्युटी योजना की स्थिति प्रदर्शित है :

विवरण	पेंशन योजनाएँ	ग्रेच्युटी
नियत हितलाभ - दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन		
1 अप्रैल 2007 को नियत हितलाभ दायित्व योजना का आरंभ	20189.82	4800.07
वर्तमान सेवा लागत	654.17	195.36
ब्याज लागत	1637.57	387.15
वास्तविक हानियाँ (लाभ)	149.72	(99.27)
प्रदत्त हितलाभ	(1243.78)	(396.27)
31 मार्च 2008 को नियत हितलाभ दायित्व योजना का इतिशेष	21387.50	4887.04
योजना आस्तियों में परिवर्तन		
1 अप्रैल 2007 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	15263.37	4599.59
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	1223.28	354.87
नियोक्ता का अंशदान	1354.95	129.82
प्रदत्त हितलाभ	(1243.78)	(396.27)
वास्तविक लाभ	68.52	51.09
31 मार्च 2008 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का इतिशेष	16666.34	4739.10
दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान		
31 मार्च 2008 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	21387.50	4887.04
31 मार्च 2008 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	16666.34	4739.10
कमी/ (अधिशेष)	4721.16	147.94
लेखे में नहीं ली गई विगत सेवा लागत	निरंक	निरंक
निवल देयता / (आस्ति)	4721.16	147.94
तुलनपत्र में ली गई राशि		
देयताएँ	21387.50	4887.04
आस्तियाँ	16666.34	4739.10
तुलनपत्र में चिन्हित निवल देयता/ (आस्ति)	4721.16	147.94
लाभ और हानि खाते में शामिल निवल लागत		
वर्तमान सेवा लागत	654.17	195.36
ब्याज लागत	1637.57	387.15
योजना -आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(1223.28)	(354.87)
तिमाही के दौरान शामिल निवल बीमांकिक हानियाँ (लाभ)	81.20	(150.36)

4.2 Employee's Benefits

4.2.1 Defined Benefit Plans

The following table sets out the status of the defined benefit Pension Plan and Gratuity Plan as required under AS 15 (Revised 2005)

Particulars	Pension Plans	Gratuity
Change in the present value of the defined benefit obligation		
Opening defined benefit obligation at 1st April 2007	20189.82	4800.07
Current Service Cost	654.17	195.36
Interest Cost	1637.57	387.15
Actuarial losses (gains)	149.72	(99.27)
Benefits paid	(1243.78)	(396.27)
Closing defined benefit obligation at 31st March 2008	21387.50	4887.04
Change in Plan Assets		
Opening fair value of plan assets at 1st April 2007	15263.37	4599.59
Expected Return on Plan assets	1223.28	354.87
Contributions by employer	1354.95	129.82
Benefit Paid	(1243.78)	(396.27)
Actuarial Gains	68.52	51.09
Closing fair value of plan assets at 31st March 2008	16666.34	4739.10
Reconciliation of present value of the obligation and fair value of the plan assets		
Present Value of Funded obligation at 31st March 2008	21387.50	4887.04
Fair Value of Plan assets at 31st March 2008	16666.34	4739.10
Deficit/(Surplus)	4721.16	147.94
Unrecognised Past Service Cost	Nil	Nil
Net Liability/(Asset)	4721.16	147.94
Amount Recognised in the Balance Sheet		
Liabilities	21387.50	4887.04
Assets	16666.34	4739.10
Net Liability / (Asset) recognised in Balance Sheet	4721.16	147.94
Net Cost recognised in the profit and loss account		
Current Service Cost	654.17	195.36
Interest Cost	1637.57	387.15
Expected return on plan assets	(1223.28)	(354.87)
Net actuarial losses (Gain) recognised during the year	81.20	(150.36)



विवरण	पेंशन योजनाएँ	ग्रेच्युटी
नियत हित लाभ योजनाओं की कुल लागत अनुसूची 16 'कर्मचारी को भुगतान और उनके लिए प्रावधान' में शामिल की गई है.	1149.66	77.28
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ और वास्तविक प्रतिलाभ का समाधान		
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	1223.28	354.87
योजना आस्तियों पर वास्तविक लाभ / (हानि)	68.52	51.09
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	1291.80	405.96
तुलनपत्र में अभिज्ञानित निवल देयता / (आस्ति) के प्रारंभिक और अंतिम शेष का समाधान		
1 अप्रैल 2007 की स्थिति के अनुसार निवल प्रारंभिक देयता	4926.45	200.48
लाभ और हानि खाते में शामिल व्यय	1149.66	77.28
नियोक्ताओं का अंशदान	1354.95	129.82
तुलनपत्र के लेखे में ली गई निवल देयता/(आस्ति)	4721.16	147.94

समूह को अगले वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी नियत लाभ पेंशन योजना और ग्रेच्युटी योजना में क्रमशः रु. 821.64 करोड़ तथा रु. 112.52 करोड़ के अंशदान करने की आशा है।

31 मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार ग्रेच्युटी निधि और पेंशन निधि की योजना - आस्तियों के अधीन किए गए विनिधान निम्नानुसार हैं।

	पेंशन निधि	ग्रेच्युटी निधि
	योजना आस्तियों का %	योजना आस्तियों का %
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	5.01%	34.80%
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	2.86%	21.12%
सार्वजनिक क्षेत्र के बांड	4.64%	15.92%
बैंक में मियादी जमा रसीद/सावधि जमा रसीद	2.36%	13.92%
बैंक की जमा राशियाँ	79.09%	6.61%
अन्य	6.04%	7.63%
योग	100.00%	100.00%

समूह में रखे गए उपरोक्त विनिधानों में से निम्नलिखित समूह द्वारा धारित हैं।

आस्तियों की श्रेणी	पेंशन फंड	ग्रेच्युटी फंड
	योजना आस्तियों का प्रतिशत	योजना आस्तियों का प्रतिशत
बैंक और बैंक जमाओं में एफडीआर/टीडीआर	79.86%	4.15%

प्रमुख बीमांकिक प्राक्कलन :

विवरण	पेंशन और ग्रेच्युटी योजनाएँ	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	7.75% से 8%	8% से 8.15%
योजना आस्ति पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	7.50% से 8%	7.50% से 8%
वेतन वृद्धि	4% से 13%	4% से 13%

Particulars	Pension Plans	Gratuity
Total costs of defined benefit plans included in Schedule 16 "Payments to and provisions for employees"	1149.66	77.28
Reconciliation of expected return and actual return on Plan Assets		
Expected Return on Plan Assets	1223.28	354.87
Actuarial Gain/ (loss) on Plan Assets	68.52	51.09
Actual Return on Plan Assets	1291.80	405.96
Reconciliation of opening and closing net liability/ (asset) recognised in Balance Sheet		
Opening Net Liability as at 1st April 2007	4926.45	200.48
Expenses as recognised in profit and loss account	1149.66	77.28
Employers Contribution	1354.95	129.82
Net liability/(Asset) recognised in Balance Sheet	4721.16	147.94

The Group expects to contribute Rs.821.64 Crore and Rs. 112.52 Crore to its defined benefit Pension Plan and Gratuity Plan respectively during the next financial year.

Investments under Plan Assets of Gratuity Fund & Pension Fund as on 31st March 2008 are as follows:

	Pension Fund	Gratuity Fund
Category of Assets	% of Plan Assets	% of Plan Assets
Central Govt. Securities	5.01%	34.80%
State Govt. Securities	2.86%	21.12%
Public Sector Bonds	4.64%	15.92%
FDR / TDR with Bank	2.36%	13.92%
Bank Deposits	79.09%	6.61%
Others	6.04%	7.63%
Total	100.00%	100.00%

Out of the above investments following are held with the group

	Pension Fund	Gratuity Fund
Category of Assets	% of Plan Assets	% of Plan Assets
FDR / TDR with Bank & Bank Deposits	79.86%	4.15%

Principal actuarial assumptions;

Particulars	Pension and Gratuity Plans	
	Current year	Previous year
Discount Rate	7.75% to 8%	8% to 8.15%
Expected Rate of return on Plan Asset	7.50% to 8%	7.50% to 8%
Salary Escalation	4% to 13%	4% to 13%





भावी वेतन वृद्धि का पूर्वानुमान, वास्तविक मूल्यन का प्रतिफलन, मुद्रास्फीति का समावेशन, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा अन्य सम्बद्ध कारणों यथा नियोजन - बाजार में आपूर्ति और मांग की स्थिति के आधार पर किया गया है। इस प्रकार के अनुमान सुदीर्घ अवधि के लिए हैं और अतीत के सीमित अनुभव/सन्निकट भविष्य की अपेक्षाओं पर आधारित नहीं हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य भी यही संकेत करते हैं कि दूरगामी अवधि के दौरान - सतत उच्च वेतनवृद्धि करते रहना संभव नहीं है। लेखापरीक्षकों ने इस प्रसंग में बैंक द्वारा किए गए प्रतिवेदन पर भरोसा किया है।

4.2.2 कर्मचारी भविष्य निधि

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक बोर्ड द्वारा संशोधित लेखा मानक - 15 के कार्यान्वयन संबंधी दिशा-निर्देशों के संदर्भ में, बैंक द्वारा स्थापित कर्मचारी भविष्य निधि नियत लाभ योजना की परिधि में आएगा क्योंकि बैंक को निर्धारित न्यूनतम प्रतिलाभ को पूरा करना है। वर्ष के अंत में ऐसी कोई कमी नहीं बची थी जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया हो। तदनुसार, भविष्य निधि के संबंध में अन्य संबंधित प्रकटीकरणों का उल्लेख नहीं किया गया है। रु.546.01 करोड़ की राशि को लाभ और हानि खाते में 'कर्मचारियों के भुगतान और उनके लिए प्रावधान' शीर्ष के अंतर्गत शामिल बैंक की भविष्य निधि योजना पर किए गए व्यय के रूप में अभिज्ञान में लिया गया है।

4.2.3 अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ

रु. 205.99 करोड़ की राशि को लाभ और हानि खाते में 'कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान' शीर्ष के अन्तर्गत शामिल दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभों पर किए गए व्यय के रूप में अभिज्ञान में लिया गया है।

वर्ष के दौरान, विभिन्न दीर्घावधि कर्मचारी-हितलाभ योजना के लिए किए गए प्रावधानों का विवरण :

क्रम सं.	दीर्घावधि कर्मचारी - हितलाभ	राशि
1	सेवानिवृत्ति के समय अवकाश नकदीकरण के साथ अर्जित अवकाश का नकदीकरण	133.25
2	अवकाश यात्रा और गृह यात्रा रियायत (नकदीकरण / अर्जन)	40.64
3	रुग्ण अवकाश	23.74
4	रजत जयंती अवार्ड	5.01
5	अधिवर्षिता पर पुनर्निपटान व्यय	5.28
6	आकस्मिक अवकाश	(2.02)
7	सेवानिवृत्ति अवार्ड	(0.09)
	योग	205.99

The estimates of future salary growth, factored in actuarial valuation, take account of inflation, seniority, promotion and other relevant factors such as supply and demand in the employment market. Such estimates are very long term and are not based on limited past experience / immediate future. Empirical evidence also suggests that in very long term, consistent high salary growth rates are not possible. The auditors have relied upon the representation made by the Bank in this behalf.

4.2.2 Employees Provident Fund

In terms of the guidance on implementing the AS-15 (Revised 2005) issued by the Institute of the Chartered Accountants of India, the Employees Provident Fund set up by the Bank is treated as a defined benefit plan since the Bank has to meet the specified minimum rate of return. As at the year end, no shortfall remains unprovided for. Accordingly, other related disclosures in respect of Provident Fund have not been made and an amount of Rs.546.01 Crore is recognised as an expense towards the Provident Fund scheme of the Bank included under the head "Payments to and provisions for employees" in Profit and Loss Account.

4.2.3 Other Long term Employee Benefits

Amount of Rs.205.99 Crore is recognised as an expense towards Long term Employee Benefits included under the head "Payments to and provisions for employees" in Profit and Loss account.

Details of Provisions made for various long Term Employees' Benefits during the year;

S. No.	Long Term Employees' Benefits	Amount
1	Privilege Leave (Encashment) incl. leave encashment at the time of retirement	133.25
2	Leave Travel and Home Travel Concession (Encashment/Availment)	40.64
3	Sick Leave	23.74
4	Silver Jubilee Award	5.01
5	Resettlement Expenses on Superannuation	5.28
6	Casual Leave	(2.02)
7	Retirement Award	0.09
	Total	205.99





4.3 खंड सूचना (जैसे प्रबंधन द्वारा संकलित और लेखा परीक्षकों द्वारा स्वीकार किया गया है)

4.3.1 खंड अभिनिर्धारण

क) प्राथमिक (व्यवसाय खंड)

भारतीय रिज़र्व बैंक के तत्कालीन दिशा-निर्देशों के अनुपालन में बैंक ने अब तक (i) बैंकिंग परिचालनों और (ii) राजकोषीय परिचालनों को प्राथमिक खंड के रूप में वर्गीकृत किया था। भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने दिनांक 18 अप्रैल 2007 के परिपत्र सं. बीपी.बीसी.81/21.04.018/2006-07 के जरिये अपने दिशा-निर्देशों को आशोधित किया है, जिनकी अपेक्षानुसार बैंक ने निम्नांकित खंडों का अभिनिर्धारण/पुनर्वर्गीकरण प्राथमिक खंडों के रूप में किया है।

- राजकोष
- कारपोरेट / थोक बैंकिंग
- खुदरा बैंकिंग
- अन्य बैंकिंग व्यवसाय

बैंक की वर्तमान लेखा-निर्धारण और सूचना पद्धति में उपरोक्त खंडों से सम्बद्ध आंकड़ा संग्रहण और निष्कर्षण की पृथक् प्रक्रिया सम्मिलित नहीं है। तथापि, रिपोर्ट करने की वर्तमान संगठनात्मक और प्रबंधकीय संरचना, उनमें सन्निहित जोखिम और प्रतिलाभ के आधार पर वर्तमान मूल - खंडों को निम्नवत पुनर्समूहित किया गया है :

क) राजकोष - राजकोष खंड में समस्त विनिधान पोर्टफोलियो और विदेशी विनिमय और डेरीवेटिव्स संविदाएँ शामिल हैं। राजकोष खंड का राजस्व मूलतः व्यापार - परिचालनों के शुल्क और इससे होने वाले लाभ / हानि तथा विनिधान पोर्टफोलियो की ब्याज आय पर आधारित है।

ख) कारपोरेट / थोक बैंकिंग - कारपोरेट / थोक बैंकिंग खंड के अंतर्गत कारपोरेट लेखा समूह, मध्य कारपोरेट लेखा समूह और तनावग्रस्त आस्ति समूह की ऋण - गतिविधियाँ सम्मिलित हैं। इनके द्वारा कारपोरेट और संस्थागत ग्राहकों को ऋण और लेन-देन सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। इनके अंतर्गत विदेश स्थित कार्यालयों के गैर - राजकोष परिचालन भी शामिल हैं।

ग) खुदरा बैंकिंग - खुदरा बैंकिंग खंड के अंतर्गत राष्ट्रीय बैंकिंग समूह की शाखाएँ आती हैं। इन शाखाओं के कार्यकलापों में राष्ट्रीय बैंकिंग समूह से सम्बद्ध कारपोरेट ग्राहकों को ऋण उपलब्ध कराने सहित - वैयक्तिक बैंकिंग गतिविधियाँ शामिल हैं। एजेंसी व्यवसाय और एटीएम भी इसी समूह में आते हैं।

4.3 Segment Reporting (As complied by management and relied upon by the auditors)

4.3.1 Segment identification

A) Primary (Business Segment)

In compliance with the then prevailing RBI directions, the Bank had hitherto been classifying (i) Banking Operations, (ii) Treasury Operations and (iii) Non-Banking Operations as the primary segments. The RBI vide their circular no. BP.BC.81/21.04.018/2006-07 dated 18th April 2007, has modified its directions, requiring the Banks to identify / reclassify the following segments as primary segments:

- Treasury
- Corporate / Wholesale Banking
- Retail Banking
- Other Banking Business

The present accounting and information system of the Bank does not support the capturing and extraction of the data in respect of the above segments separately. However, based on the present internal organisational and management reporting structure and the nature of their risk and returns, the existing primary segments have been regrouped as under:

a) Treasury: The Treasury Segment includes the entire investment portfolio and trading in foreign exchange contracts and derivative contracts. The revenue of the treasury segment primarily consists of fees and gains or losses from trading operations and interest income on the investment portfolio.

b) Corporate / Wholesale Banking: The Corporate / Wholesale Banking segment comprises the lending activities of Corporate Accounts Group, Mid Corporate Accounts Group and Stressed Assets Management Group. These include providing loans and transaction services to corporate and institutional clients and further include non treasury operations of foreign offices.

c) Retail Banking: The Retail Banking Segment comprises of branches in National Banking Group, which primarily includes personal Banking activities including lending activities to corporate customers having Banking relations with branches in the National Banking Group. This segment also includes agency business and ATM's.





घ) अन्य बैंकिंग व्यवसाय - जो खंड उपर्युक्त (क) से (ग) के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं हुए हैं उन्हें इस प्राथमिक खंड के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इस खंड के अंतर्गत समूह के सभी गैर बैंकिंग अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों का कार्यकलाप भी शामिल है।

जिन बैंकिंग अनुषंगियों की प्रबंधन रिपोर्टिंग प्रणाली पैरेंट जैसी नहीं है उनके रु. 5.00 करोड़ रुपये से ऊपर के सभी जोखिमों को अलग कर दिया गया है और उन्हें कारपोरेट/थोक बैंकिंग में शामिल कर दिया गया है।

प्रबंधन का अभिमत है कि उपर्युक्त पुनर्वर्गीकरण, भारतीय रिज़र्व बैंक के संशोधित दिशा-निर्देशों की अपेक्षाओं को पूरा करता है तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक - 17 - 'खंड सूचना' की अपेक्षाओं के अनुरूप है।

ख) गौण (भौगोलिक खंड)

- देशी परिचालन के अंतर्गत - भारत में परिचालित शाखाएँ/कार्यालय आते हैं।
- विदेशी परिचालन के अंतर्गत - भारत से बाहर परिचालित शाखाएँ/कार्यालय तथा भारत में परिचालित समुद्रपारीय बैंकिंग इकाइयाँ आती हैं।

घ) व्यय, आस्तियों और देयताओं का आबंटन

कारपोरेट केंद्र की संस्थापनाओं में किए गए व्यय जो सीधे बैंकिंग परिचालन खंड अथवा राजकोषीय परिचालन खंड से संबंधित हैं, तदनुसार आबंटित किए गए हैं। सीधे संबंध न रखने वाले व्यय प्रत्येक खंड के कर्मचारियों की संख्या/सीधे संबंध रखने वाले व्यय के अनुपात के आधार पर आबंटित किए गए हैं।

4.3.2 खंड रिपोर्टिंग के लिए अपनाई गई लेखा नीतियां निम्नलिखित अतिरिक्त पक्षों के साथ वही है जो पैरेंट के वित्तीय विवरण को रिपोर्ट करने के लिए अपनाई गई हैं।

- गैर बैंकिंग परिचालन खंडों और अन्य खंडों के बीच अंतर खंड लेन देन का मूल निर्धारण बाजार आधार पर किया गया है। राजकोष और अन्य बैंकिंग व्यवसाय के बीच लेन देन के संबंध में निधियों के उपयोग के लिए प्रतिपूर्ति की राशि की गणना ऋण खंड द्वारा वहन किए गए ब्याज और अन्य लागतों के आधार पर की गई है।
- खंडों के राजस्व और व्यय को खंड की परिचालन गतिविधि से संबंध के आधार पर चिन्हित किया गया है।
- समग्र-उद्यम से संबंधित ऐसे राजस्व और व्यय जिन्हें किसी खंड को आबंटित करने का तार्किक आधार नहीं है उन्हें अनाबंटित कारपोरेट राजस्व में से घटाकर "अनाबंटित व्यय" के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है।

d) **Other Banking business** - Segments not classified under (a) to (c) above are classified under this primary segment. This segment also includes the operations of all the Non-Banking Subsidiaries/ Joint Ventures of the group.

In the case of Banking Subsidiaries who do not have the management reporting structure corresponding to the parent, all the exposures in excess of Rs 5 Crore have been segregated and included in Corporate/Wholesale Banking.

The Management is of the opinion that the above reclassification meets the requirements of the revised RBI guidelines and also is in compliance with the requirements of the Accounting Standard-17 - "Segment Reporting" issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

B) **Secondary (Geographical Segment):**

- Domestic operations comprise branches and subsidiaries having operations in India.
- Foreign operations comprise branches and subsidiaries having operations outside India and offshore banking units having operations in India.

C) **Allocation of Expenses, Assets and liabilities**

Expenses of parent incurred at Corporate Centre establishments directly attributable either to Corporate / Wholesale and Retail Banking Operations or to Treasury Operations segment, are allocated accordingly. Expenses not directly attributable are allocated on the basis of the ratio of number of employees in each segment/ratio of directly attributable expenses.

4.3.2 The accounting policies adopted for segment reporting are in line with the accounting policies adopted in the parent's financial statements with the following additional features:

- Pricing of inter-segment transactions between the Other Banking Business segment and other segments are market led. In respect of transactions between treasury and other banking business, compensation for the use of funds is reckoned based on interest and other costs incurred by the lending segment.
- Revenue and expenses have been identified to segments based on their relationship to the operating activities of the segment.
- Revenue and expenses, which relate to the enterprise as a whole and are not allocable to segments on a reasonable basis, have been included under "Unallocated Expenses".





4.3.3 खंडवार सूचना के अंतर्गत प्रकटीकरण 4.3.3 DISCLOSURE UNDER SEGMENT REPORTING

भाग क : प्राथमिक खंड PART A: PRIMARY SEGMENTS

	राजकोषीय परिचालन Treasury Operations	कारपोरेट/थोक बैंकिंग Corporate/ Wholesale Banking	खुदरा बैंकिंग Retail Banking	अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations	परित्याग Elimination	योग TOTAL
राजस्व Revenue	19,496.64	25,042.17	42,008.81	8,130.39	(4,838.35)	89,839.66
परिणाम Result	1,402.17	6,752.29	7,530.82	299.40	—	15,984.68
अनाबंटित आय Unallocated Income	—	—	—	—	—	379.15
अनाबंटित व्यय Unallocated Expenses	—	—	—	—	—	(2,373.27)
परिचालन लाभ (पीबीटी) Operating Profit (PBT)	—	—	—	—	—	13,990.56
कर Taxes	—	—	—	—	—	4,777.73
असाधारण लाभ/हानि Extraordinary Profit/Loss	—	—	—	—	—	—
निवल लाभ Net Profit	—	—	—	—	—	9212.83
अन्य सूचनाएं: Other Information:	—	—	—	—	—	—
खंड अस्तियाँ Segment Assets	285635.91	534946.80	189086.86	21359.32	(10385.86)	1020643.03
अनाबंटित अस्तियाँ Unallocated Assets	—	—	—	—	—	6626.49
कुल अस्तियाँ Total Assets	—	—	—	—	—	1027269.52
खंड देयताएँ Segment Liabilities	210066.45	312691.37	459751.93	21403.81	(10385.86)	993527.70
अनाबंटित देयताएँ Unallocated Liabilities	—	—	—	—	—	33741.82
कुल देयताएँ Total Liabilities	—	—	—	—	—	1027269.52

फारमेट में संशोधन के कारण भारतीय रिज़र्व बैंक के 18 अप्रैल 2007 के परिपत्र क्रमांक बीपी.बीसी.81/21.04.018/2006-07 के अनुसार पिछले वर्ष के आंकड़े नहीं प्रकट किये गये हैं। In view of the revision in the format, previous year's figures have not been disclosed in view of RBI Circular No. BP.BC.81/21.04.018/ 2006-07 dated 18th April 2007.

भाग ख : द्वितीयक खंड PART B : SECONDARY SEGMENTS

विवरण Particulars	देशी परिचालन Domestic Operations	विदेशी परिचालन Foreign Operations	योग Total
राजस्व Revenue	83,566.13 (62,969.73)	6,652.68 (4,154.41)	90218.81 (67124.14)
आस्तियाँ Assets	9,30,748.23 (7,56,908.79)	96,521.29 (58,265.62)	10,27,269.52 (8,15,174.41)

- आय/व्यय पूरे वर्ष हेतु हैं। आस्तियाँ/देयताओं का विवरण दिनांक 31.03.2008 का है।
- कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं।
- Income / Expenses are for the whole year. Assets / Liabilities are as at 31st March.
- Figures within brackets are for previous year.





4.4 संबंधित पक्ष प्रकटीकरण : जैसा कि प्रबंधन द्वारा इनका अभिनिर्धारण किया गया है और लेखापरीक्षकों ने इन्हें स्वीकार किया है।

4.4.1 संबंधित पक्ष

क. संयुक्त उद्यम

1. सी एज टेक्नोलॉजीस लिमिटेड.
2. जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि.

ख. सहयोगी

1. आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक
2. अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक
3. छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक
4. कावेरी कल्पतरू ग्रामीण बैंक
5. डेक्कन ग्रामीण बैंक
6. इलाकाई देहाती बैंक
7. मेघालय रूरल बैंक (पूर्व का बैंक नानकिगडांग की खासी जैनटिया)
8. कृष्णा ग्रामीण बैंक
9. लंगपी देहांगी रूरल बैंक
10. मध्य भारत ग्रामीण बैंक
11. मालवा ग्रामीण बैंक
12. मारवाड़ गंगानगर बीकानेर बैंक
13. मिजोरम रूरल बैंक
14. नागालैंड रूरल बैंक
15. पर्वतीय ग्रामीण बैंक
16. पूर्वांचल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
17. समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
18. सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक
19. उत्कल ग्राम्य बैंक
20. उत्तरांचल ग्रामीण बैंक
21. वनांचल ग्रामीण बैंक
22. विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
23. एसबीआई होम फायनांस लिमिटेड
24. क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
25. नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड
26. एसएस वेंचर्स सर्विसेस लिमिटेड
27. बैंक ऑफ भूटान
28. युटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्रा. लि.

ग. बैंक के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

1. श्री ओ.पी. भट्ट, अध्यक्ष
2. श्री टी. एस. भट्टाचार्य, प्रबंध निदेशक, 31 जनवरी 2008 तक
3. श्री योगेश अग्रवाल, प्रबंध निदेशक 30 जून 2007 तक
4. श्री एस. के. भट्टाचार्य, प्रबंध निदेशक, 08 अक्टूबर 2007 से

4.4.2 वर्ष के दौरान जिन पक्षों से लेन-देन किए गए

लेखा मानक (एस) 18 के अनुच्छेद 9 के अनुसार "सरकार - नियंत्रित उद्यम" रूप में संबंधित पक्ष के संबंध में कोई प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है। पुनः लेखा मानक 18 के अनुच्छेद 5 के अनुसार

4.4 **Related Party Disclosures: As identified and compiled by the management and relied upon by the auditors**

4.4.1 **Related Parties:**

A) **JOINT VENTURES:**

1. C Edge Technologies Ltd.
2. GE Capital Business Process Management Services Private Limited.

B) **ASSOCIATES:**

1. Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank
2. Arunachal Pradesh Rural Bank
3. Chhatisgarh Gramin Bank
4. Cauvery Kalpatharu Grameena Bank
5. Deccan Grameena Bank
6. Ellaquai Dehati Bank
7. Meghalaya Rural Bank (erstwhile Ka Bank Nongkyndong Ri Khasi Jaintia)
8. Krishna Grameena Bank
9. Langpi Dehangi Rural Bank
10. Madhya Bharat Gramin Bank
11. Malwa Gramin Bank
12. Marwar Ganganagar Bikaner Bank
13. Mizoram Rural Bank
14. Nagaland Rural Bank
15. Parvatiya Gramin Bank
16. Purvanchal Kshetriya Gramin Bank
17. Samastipur Kshetriya Gramin Bank
18. Saurashtra Grameena Bank
19. Utkal Gramya Bank
20. Uttaranchal Gramin Bank
21. Vananchal Gramin Bank
22. Vidisha Bhopal Kshetriya Gramin Bank
23. SBI Home Finance Limited.
24. Clearing Corporation of India Ltd
25. Nepal SBI Bank Ltd.
26. S. S. Ventures Services Ltd
27. Bank of Bhutan
28. UTI Asset Management Company Pvt. Ltd.

C) **Key Management Personnel of the Bank:**

1. Shri O. P. Bhatt, Chairman
2. Shri T. S. Bhattacharya, Managing Director upto 31st January 2008
3. Shri Yogesh Agarwal, Managing Director upto 30th June 2007
4. Shri S. K. Bhattacharyya, Managing Director from 08th October 2007

4.4.2 **Related Parties with whom transactions were entered into during the year:**

No disclosure is required in respect of related parties which are "state controlled enterprises" as per paragraph





प्रमुख प्रबंधन कार्मिक तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के संबंधियों के बारे में बैंकर-ग्राहक संबंध की प्रकृति वाले लेनदेनों का प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है। अन्य विवरण निम्नानुसार है :

1. सी-एज टेकनोलॉजीज लि.
2. जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा.लि.
3. एसबीआई होम फाइनेंस लिमिटेड
4. बैंक ऑफ भूटान
5. नेपाल एसबीआई बैंक लि.
6. एसएस वेंचर्स सर्विसेज लिमिटेड
7. श्री ओ.पी.भट्ट
8. श्री टी.एस. भट्टाचार्य (31.01.2008 तक)
9. श्री योगेश अग्रवाल, (30.06.2007 तक)
10. श्री एस.के. भट्टाचार्य, प्रबंध निदेशक (08.10.2007 से)

4.4.3. लेनदेन और शेष राशियाँ

विवरण	सहयोगी/ संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक@	योग
जमा-राशियाँ #	62.56 (295.37)	- (-)	62.56 (295.37)
अन्य देयताएँ #	97.75 (1.76)	- (-)	97.75 (1.76)
विनिधान #	21.75 (19.75)	- (-)	21.75 (19.75)
अन्य अस्तियाँ #	0.08 (-)	- (-)	0.08 (-)
संदत ब्याज \$	3.16 (6.59)	- (-)	3.16 (6.59)
प्राप्त ब्याज \$	- (0.22)	- (-)	- (0.22)
लाभांश के रूप में अर्जित आय \$	2.94 (0.50)	- (-)	2.94 (0.50)
प्रदत्त सेवाएँ \$	0.07 (-)	- (-)	0.07 (-)
प्राप्त सेवाएँ \$	- (1.66)	- (-)	- (1.66)
प्रबंधन संविदाएँ \$	- (0.65)	0.54 (0.15)	0.54 (0.80)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

31 मार्च की स्थिति के अनुसार

\$ वर्ष के लेन-देन

@ ऐसे लेन देन जो बैंकर और ग्राहक के संबंधों की प्रकृति के नहीं हैं।

9 of Accounting Standard (AS) 18. Further, in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of banker-customer relationship are not required to be disclosed in respect of Key Management Personnel.

Other particulars are:

1. C Edge Technologies Ltd.
2. GE Capital Business Process Management Services Pvt. Ltd.
3. SBI Home Finance Ltd.
4. Bank of Bhutan
5. Nepal SBI Bank Ltd.
6. S. S. Ventures Services Ltd.
7. Shri O. P. Bhatt,
8. Shri T. S. Bhattacharya (upto 31st January 2008)
9. Shri Yogesh Agarwal, (upto 30th June 2007)
10. Shri S. K. Bhattacharyya, Managing Director from 8th October 2007

4.4.3 Transactions / Balances :

Items/Related Party	Associates/ Joint Ventures	Key Management Personnel @	Total
Deposit#	62.56 (295.37)	— (-)	62.56 (295.37)
Other Liability#	97.75 (1.76)	— (-)	97.75 (1.76)
Investments#	21.75 (19.75)	— (-)	21.75 (19.75)
Other Assets #	0.08 (-)	— (-)	0.08 (-)
Interest paid \$	3.16 (6.59)	— (-)	3.16 (6.59)
Interest received\$	— (0.22)	— (-)	— (0.22)
Income earned by way of Dividend \$	2.94 (0.50)	— (-)	2.94 (0.50)
Rendering of services \$	0.07 (-)	— (-)	0.07 (-)
Receiving of services \$	— (1.66)	— (-)	— (1.66)
Management contracts \$	— (0.65)	0.54 (0.15)	0.54 (0.80)

(Figures in brackets pertain to previous year)

Balances as at 31st March

\$ Transactions for the year

@ Transactions which are not in the nature of banker-customer relationship.



**4.5 पट्टे :**

1 अप्रैल 2001 को या उसके पश्चात् वित्तीय पट्टों पर दी गई आस्तियाँ : इन वित्तीय पट्टों का ब्योरा नीचे दिया गया है।

विवरण	2007-08 चालू वर्ष	2006-07 पिछला वर्ष
पट्टों में किए गए सकल विनिधान	43.29	164.73
प्राप्य न्यूनतम पट्टा भुगतानों का वर्तमान मूल्य		
1 वर्ष से कम	8.91	8.91
1 से 5 वर्ष तक	9.67	15.04
5 वर्ष और उससे अधिक	-	-
योग	18.58	23.95
अनर्जित वित्त का वर्तमान मूल्य	3.76	5.00

समूह ने लिए गए परिचालित पट्टों और मंजूर किए गए परिचालन पट्टों को संकलित नहीं किया है। तदनुसार, इनके संबंध में कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

4.6 प्रति शेयर उपार्जन :

बैंक ने लेखा मानक 20, 'प्रति शेयर उपार्जन' के अनुसार प्रत्येक इक्विटी शेयर पर मूल और कम की गई आय की सूचना दी है। वर्ष के दौरान, कर के पश्चात् निवल लाभ को बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से अलग करके प्रति शेयर 'मूल आय' की गणना की गई है। वर्ष के दौरान कोई भी कम किए गए मूल्य के संभाव्य इक्विटी शेयर बकाया नहीं हैं।

विवरण	2007-08 चालू वर्ष	2006-07 पिछला वर्ष
मूल और कम किए गए मूल प्रति शेयर आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत इक्विटी शेयरों की सं. जॉइड़े : इएसपीएस योजना के कारण जारी किए जाने वाले संभावित इक्विटी शेयरों की संख्या	53,14,45,447	52,74,63,672
कम किए गए प्रति शेयर आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत शेयरों की संख्या	5,09,911	—
निवल लाभ (अल्पांश को छोड़कर)	8960.61	6364.38
प्रति शेयर मूल आय (रु.)	168.61	120.66
कम की गई प्रति शेयर आय (रु.)	168.45	120.66
प्रति शेयर नाममात्र मूल्य (रु.)	10.00	10.00

4.5 Leases:

Assets given on Financial Leases on or after 1st April 2001: The details of financial leases are given below.

Particulars	2007-08 Current Year	2006-07 Previous Year
Total gross investment in the leases	43.29	164.73
Present value of minimum lease payments receivable		
Less than 1 year	8.91	8.91
1 to 5 years	9.67	15.04
5 years and above	—	—
Total	18.58	23.95
Present value of unearned finance	3.76	5.00

The group has not compiled the data on operating leases taken and operating leases granted. Accordingly no disclosure for the same is made.

4.6 Earnings Per Share:

The Bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with Accounting Standard 20 - "Earnings per Share". "Basic earnings" per share is computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

Particulars	2007-08 Current Year	2006-07 Previous Year
Basic and diluted		
Weighted average no of equity shares used in computing basic earning per share	53,14,45,447	52,74,63,672
Add: Potential number of equity shares that could arise on account of ESPS scheme	5,09,911	—
Weighted average number of shares used in computing diluted earning per share	53,19,55,358	52,74,63,672
Net profit (Other than minority)	8960.61	6364.38
Basic earnings per share (Rs.)	168.61	120.66
Diluted earnings per share (Rs.)	168.45	120.66
Nominal value per share (Rs.)	10.00	10.00



**4.7 आय पर कर का लेखा - करण**

- i) वर्ष के दौरान, आस्थगित कर समायोजन के द्वारा रु. 483.03 करोड़ (क्रेडिट) [पिछले वर्ष रु.77.56 करोड़ (क्रेडिट)] लाभ और हानि खाते में जमा किया गया।
- ii) वर्ष के दौरान, रु. 582.98 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) राशि को राजस्व और अन्य आरक्षितियों के नामे समायोजित कर्मचारी हित लाभ के रु.5848.46 करोड़ के संक्रमणीय दायित्व पर आस्थगित कर को समायोजित किया गया।
- iii) प्रमुख मदों में आस्ति और देयता का मदवार विवरण निम्न तालिका में दिया गया है।

विवरण	2007-08 चालू वर्ष	2006-07 पिछला वर्ष
आस्थगित कर आस्तियाँ		
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	282.81	415.18
एक्जिट विकल्प के लिए अनुग्रह राशि का भुगतान	147.83	147.75
वेतन संशोधन	214.92	
ग्रैच्युटी, अवकाश, पेंशन आदि के लिए प्रावधान	556.73	
अन्य	751.68	542.72
योग	1953.97	1105.65
आस्थगित कर देयताएँ		
अचल आस्तियों पर मूल्य-ह्रास	110.43	116.67
प्रतिभूतियों पर ब्याज	580.96	621.41
अन्य	484.19	605.66
योग	1175.58	1343.74
निवल आस्थगित कर आस्तियाँ/ (देयताएँ)	778.39	(238.09)

4.7 Accounting for taxes on Income

- i) During the year, Rs. 483.03 Crore (credit) [Previous Year Rs. 77.56 Crore (credit)] has been credited to Profit and Loss Account by way of adjustment of deferred tax.
- ii) During the year Rs.582.98 Crore (previous year Nil) has been netted off by debit to Revenue and Other Reserve by way of adjustment of deferred tax on Transitional Liability of Rs.5848.46 Crore towards employee benefits.
- iii) The break up of deferred tax assets and liabilities into major items is given below:

Particulars	2007-08 Current Year	2006-07 Previous Year
Deferred Tax Assets		
Provision for non performing assets	282.81	415.18
Ex-gratia paid under Exit option	147.83	147.75
Wage Revision	214.92	
Provision for Gratuity, Leave, Pension etc.	556.73	
Others	751.68	542.72
Total	1953.97	1105.65
Deferred Tax Liabilities		
Depreciation on Fixed Assets	110.43	116.67
Interest on securities	580.96	621.41
Others	484.19	605.66
Total	1175.58	1343.74
Net Deferred Tax Assets/(Liabilities)	778.39	(238.09)



**4.8 संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों में विनिधान:****Investments in jointly controlled entities:**

लेखा मानक 27 की अपेक्षा के अनुसार, संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों में बैंक के हिस्से से संबंधित आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय की कुल राशि निम्नानुसार प्रकट की गई है:

As required by AS 27, the aggregate amount of the assets, liabilities, income and expenses related to the Bank's interests in jointly controlled entities are disclosed as under:

क : आस्तियाँ और दायित्व A: Assets and Liabilities:

	2007-08 चालू वर्ष Current Year	2006-07 पिछला वर्ष Previous Year
दायित्व / Liabilities		
पूँजी और आरक्षितियाँ / Capital & Reserves	64.41	50.93
जमा राशियाँ / Deposits		
उधार राशियाँ / Borrowings	0.35	0.21
अन्य दायित्व एवं प्रावधान / Other Liabilities & Provisions	27.05	20.60
योग / TOTAL	91.81	71.74
आस्तियाँ / Assets		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशियाँ Cash and balances with Reserve Bank of India	0.01	0.01
बैंकों के पास जमा राशियाँ और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन Balances with Banks and Money at call and short notice	2.04	3.66
विनिधान / Investments	2.62	2.47
अग्रिम / Advances	—	—
अचल आस्तियाँ / Fixed Assets	16.23	18.59
अन्य आस्तियाँ / Other Assets	70.91	47.01
योग / TOTAL	91.81	71.74

पूँजीगत प्रतिबद्धताएँ : निरंक (पिछले वर्ष रु. निरंक)
अन्य आकस्मिक दायित्व रु. निरंक (पिछले वर्ष रु. निरंक)

Capital Commitments Rs.Nil (Previous Year Rs. Nil)
Other Contingent Liabilities Rs.Nil (Previous Year Rs. Nil)

ख : आय एवं व्यय

	2007-08 चालू वर्ष	2006-07 पिछला वर्ष
I. आय		
अर्जित ब्याज	5.69	0.04
अन्य आय	61.63	65.85
कुल	67.32	65.89
II. व्यय		
व्यय किया गया ब्याज	0	0
परिचालन व्यय	47.41	41.54
प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय	6.44	10.07
कुल	53.85	51.61
III. लाभ	13.47	14.28

B. Income and Expenditure

	2007-08 Current Year	2006-07 Previous Year
I. Income		
Interest earned	5.69	0.04
Other income	61.63	65.85
Total	67.32	65.89
II. Expenditure		
Interest expended	0	0
Operating expenses	47.41	41.54
Provisions & contingencies	6.44	10.07
Total	53.85	51.61
III. Profit	13.47	14.28



**4.9 आस्तियों की अपसामान्यता:**

बैंक प्रबंधन की दृष्टि में, वर्ष के दौरान, आस्तियों की अपसामान्यता का कोई ऐसा मामला नहीं है जिस पर लेखा मानक 28 - 'आस्तियों की अपसामान्यता' लागू हो।

4.10 प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ**क. प्रावधानों का अलग-अलग विवरण**

	2007-08 चालू वर्ष	2006-07 पिछला वर्ष
क) आयकर (वर्तमान कर) के लिए प्रावधान	5128.83	4146.60
ख) आयकर (आस्थगित कर आस्ति) के लिए प्रावधान	(483.03)	(77.56)
ग) अनुषंगी लाभ कर	135.47	124.76
घ) अन्य करों के लिए प्रावधान	(3.54)	(1.45)
ङ) अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान राशि (प्रतिलेखन प्रावधान के साथ)	2804.05	1775.89
च) वैश्विक ऋण संविभाग में मानक आस्तियों पर सामान्य प्रावधान	773.21	945.42
छ) भारत और भारत के बाहर विनिधानों में मूल्य-ह्रास	153.15	829.49
ज) आकस्मिक देयताओं के लिए प्रावधान	197.29	51.27
झ) अन्य (प्रतिलेखन को छोड़कर)	413.27	(21.92)
कुल	9118.70	7772.50

(कोष्ठक के आंकड़े क्रेडिट दर्शाते हैं।)

ख. अस्थिर प्रावधान:

	2007-08 चालू वर्ष	2006-07 पिछला वर्ष
क) अथशेष	515.95	752.90
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	169.09	63.05
ग) वर्ष के दौरान आहरण में कमी	0.00	300.00
घ) इतिशेष	685.04	515.95

4.9 Impairment of assets:

In the opinion of the Bank's Management, there is no impairment to the assets to which Accounting Standard 28 - "Impairment of Assets" applies.

4.10 Provisions, Contingent Liabilities & Contingent Assets**a) Break up of provisions:**

	2007-08 Current Year	2006-07 Previous Year
a) Provision for Income Tax (current tax)	5128.83	4146.60
b) Provision for Income Tax (deferred tax)	(483.03)	(77.56)
c) Fringe Benefit Tax	135.47	124.76
c) Provision for other taxes	(3.54)	(1.45)
d) Amount of provision made against NPAs (including write back of provision)	2804.05	1775.89
e) General provision on Standard Assets in the global loan portfolio	773.21	945.42
f) Depreciation in the value of Investments	153.15	829.49
g) Provision for contingent liabilities	197.29	51.27
h) Others (Net of write-backs)	413.27	(21.92)
Total	9118.70	7772.50

(Figures in brackets indicate credit)

b) Floating provisions:

	2007-08 Current Year	2006-07 Previous Year
a) Opening Balance	515.95	752.90
b) Addition during the year	169.09	63.05
c) Draw down during the year	0.00	300.00
d) Closing balance	685.04	515.95





ग. आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों का विवरण:

क्रम सं.	विवरण	संक्षिप्त विवरण
1	बैंक के विरुद्ध ऐसे दावे जो ऋण के रूप में अभिस्वीकृत नहीं हैं.	व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में बैंक विभिन्न कार्यवाहियों में एक पक्ष है। बैंक को ऐसी उम्मीद नहीं है कि इन कार्यवाहियों के परिणाम का तात्त्विक प्रतिकूल प्रभाव बैंक की वित्तीय स्थितियों, परिचालन परिणामों या नकदी प्रवाह पर पड़ेगा।
2	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएँ	बैंक अपने निजी खाते और ग्राहकों की अंतर-बैंक सहभागिता से विदेशी विनिमय संविदा, मुद्रा विकल्प, वायदा दर करार, मुद्रा विनिमय तथा ब्याज दर विनिमय करता है। वायदा विनिमय संविदाओं की प्रतिबद्धता विदेशी मुद्रा को भविष्य में संविदागत दर पर खरीदने या बेचने के लिए है। मुद्रा विनिमयों की प्रतिबद्धताएँ पूर्व निर्धारित दरों के आधार पर एक मुद्रा के विपरीत दूसरी मुद्रा की ब्याज / मूल राशि के रूप में विनिमय नकदी प्रवाह के लिए हैं। ब्याज दर विनिमय की प्रतिबद्धताएँ अचल विनिमय एवं अस्थायी ब्याज दर नकदी प्रवाह के लिए हैं। आनुमानिक राशियाँ, जिन्हें आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया गया है, संविदाओं के ब्याज अंश के परिकलन हेतु न्यूनतम मापदंड के रूप में प्रयुक्त विशिष्ट राशियाँ हैं।
3	ग्राहकों, बिलों एवं हुंडियों, परांकों तथा अन्य दायित्वों की ओर से दी गई गारंटियाँ	अपनी वाणिज्यिक बैंकिंग कार्यवाहियों के एक भाग के रूप में बैंक अपने ग्राहकों की ओर से प्रलेखी ऋण और गारंटी प्रदान करता है। प्रलेखी ऋण से बैंक के ग्राहकों की ऋण अवस्थिति बढ़ती है। गारंटियाँ सामान्यतः बैंक की ओर से अटल आश्वासन होती हैं कि यदि ग्राहक अपने वित्तीय या निष्पादन दायित्वों को पूर्ण करने में असफल होता है तो बैंक ऐसी स्थिति में उनका भुगतान करेगा।
4	अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है।	बैंक विभिन्न कर निर्धारण मामलों, जिनसे सम्बद्ध अपोलें विचाराधीन हैं, का एक पक्ष है। बैंक की ओर से इन पर प्रतिवाद किया जा रहा है और इनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। पुनः बैंक ने व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में शेरों का अभिदान करने की प्रतिबद्धता की है।

घ. ऊपर उल्लिखित आकस्मिक देयताएँ यथास्थिति, न्यायालय/पंचाट/न्यायालय के बाहर समझौता, अपीलों के निपटान, राशि के माँगे जाने, संविदागत बाध्यताएँ, संबंधित पक्षों द्वारा माँग प्रस्ताव के अंतरण और उसे उद्भूत करने के दायित्व पर आधारित हैं।

ङ. आकस्मिक देयताओं के प्रति प्रावधानों का उतार-चढ़ाव

विवरण	2007-08 चालू वर्ष	2006-07 पिछला वर्ष
क) अथशेष	142.19	120.54
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	118.33	37.33
ग) वर्ष के दौरान आहरण में कमी	22.18	15.68
घ) इतिशेष	238.34	142.19

5. **विचाराधीन वेतन करार :** सदस्य बैंकों की ओर से भारतीय बैंक संघ द्वारा ऑल इंडिया यूनियन्स ऑफ वर्कमैन के साथ किया गया आठवाँ द्विपक्षीय समझौता 31 अक्टूबर 2007 को कालातीत हो गया। नए समझौते के विचाराधीन कार्यान्वयन की पृष्ठभूमि में, लेखे में रु. 666.89 करोड़ का प्रावधान किया गया है - जो दिनांक 01 नवम्बर 2007 से प्रभावी होने वाले वेतन - संशोधन के कारण बैंक की अनुमानित देयता से संबंधित है।

c) Description of contingent liabilities and contingent assets:

Sr. No	Items	Brief Description
1	Claims against the Group not acknowledged as debts	The parent and its constituents are parties to various proceedings in the normal course of business. It does not expect the outcome of these proceedings to have a material adverse effect on the Group's financial conditions, results of operations or cash flows.
2	Liability on account of outstanding forward exchange contracts	The Group enters into foreign exchange contracts, currency options, forward rate agreements, currency swaps and interest rate swaps with inter-bank participants on its own account and for customers. Forward exchange contracts are commitments to buy or sell foreign currency at a future date at the contracted rate. Currency swaps are commitments to exchange cash flows by way of interest/principal in one currency against another, based on predetermined rates. Interest rate swaps are commitments to exchange fixed and floating interest rate cash flows. The notional amounts that are recorded as contingent liabilities, are typically amounts used as a benchmark for the calculation of the interest component of the contracts.
3	Guarantees given on behalf of constituents, acceptances, endorsements and other obligations	As a part of its commercial banking activities, the Group issues documentary credits and guarantees on behalf of its customers. Documentary credits enhance the credit standing of the customers of the Group. Guarantees generally represent irrevocable assurances that the Bank will make payment in the event of the customer failing to fulfil its financial or performance obligations.
4	Other items for which the Group is contingently liable	The Group is a party to various taxation matters in respect of which appeals are pending. These are being contested by the Group and not provided for. Further the Group has made commitments to subscribe to shares in the normal course of business.

d) The contingent liabilities mentioned above are dependent upon the outcome of court/arbitration/out of court settlements, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties, as the case may be.

e) Movement of provisions against contingent liabilities:

	2007-08 Current Year	2006-07 Previous Year
a) Opening Balance	142.19	120.54
b) Addition during the year	118.33	37.33
c) Draw down during the year	22.18	15.68
d) Closing balance	238.34	142.19

5. **Pending Wage Agreement:** The Eighth Bipartite Settlement entered into by the Indian Banks' Association on behalf of the member Banks with the All India Unions of Workmen expired on 31st October 2007. Pending the execution of a new agreement a provision of Rs. 666.89 Crore has been made in the accounts for the Bank's estimated liability in respect of wage revision to be effective from 1st November 2007.





6. **एक्जिट विकल्प :** बैंक ने अपने कर्मचारियों की पात्रता के अनुरूप एक्जिट विकल्प योजना कार्यान्वित की। वर्ष के दौरान, एक्जिट विकल्प के अधीन कुल 145.08 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 483.32 करोड़ रुपए) की अनुग्रह अदायगी को लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया गया है।
7. **अंतर कार्यालय खाते / सरकारी खाते / उचंती खाते :** शाखाओं, नियंत्रक कार्यालयों और कारपोरेट केंद्र के प्रतिष्ठानों के बीच लेन-देन का समायोजन 31 दिसम्बर 2007 तक की अवधि के लिए किया गया है। बकाया प्रविष्टियों के समायोजन / समाप्ति के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, विदेशी मुद्रा, स्वर्ण, मुद्रा-लेन-देनों और सरकारी लेन-देनों के समायोजन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों का यदि बैंक के वित्तीय विवरण पर कोई प्रभाव पड़ा है तो उसे ज्ञात नहीं किया जा सका है।
8. **पेंशन निधि में अतिरिक्त अंशदान:**
भारत सरकार, बैंक की पेंशन निधि नियमावली में यह उल्लिखित है कि बैंक वेतन का 10% पेंशन निधि में अंशदान करेगा। भारत सरकार ने सुझाव दिया है कि बैंक निधि की नियमावली के अनुसार निधि में अंशदान करे। फिर भी, लेखा मानक 15 (संशोधित 2005) के अनुरूप और बीमांकिक मूल्यों के अनुसार पर्याप्त विवेकपूर्ण प्रावधान करने के लिए बैंक ने वित्तीय वर्ष के दौरान पेंशन निधि में रु. 546 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 864 करोड़) का अतिरिक्त अंशदान किया।
9. **अंतर समूह बकाया और ब्याज आय, ब्याज-व्यय, अन्य आय और अन्य परिचालन व्ययों को पूर्णतः परित्यक्त कर दिया गया है।**
ब्याज आय, ब्याज व्यय, अन्य आय और अन्य परिचालन व्ययों के संबंध में आंकड़ों में निम्नलिखित अंतर को आय और व्यय खाते में से इस आधार पर परित्यक्त कर दिया गया है कि संबंधित इकाई द्वारा रिपोर्ट किए गए उच्चतम आंकड़े रिपोर्टिंग-त्रुटि का परिणाम है। इनका रिपोर्ट किए गए अंतर-समूह हाथ हानि पर कोई प्रभाव पड़ा है। संबंधित इकाई द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़ों पर उपरोक्तानुसार विचार किया गया है और तदनुसार इसे अंतर बैंक समायोजन में परिलक्षित किया गया है।

विवरण	इकाई द्वारा रिपोर्ट मद् (क)	अन्य इकाइयों द्वारा उसी मद् की रिपोर्ट (ख)	आय और व्यय/ आस्ति देयता से निकाला गया (ग)	रिपोर्ट किये गये आंकड़ों में अंतर घ = (ग-क)
ब्याज आय	327	449	522	195
ब्याज व्यय	449	327	522	73
अन्य आय	93	135	183	90
अन्य व्यय	135	93	183	48

विवरण	संबंधित इकाई द्वारा रिपोर्ट के अनुसार राशि परित्यक्त	अंतर बैंक समायोजन
आस्तियाँ	10405	10385
देयताएँ	10385	10405

6. **Exit Option:** The Bank had implemented an Exit Option Scheme for its eligible employees. The ex-gratia payments under exit option aggregating to Rs. 145.08 Crore (previous year Rs. 483.32 Crore) have been charged to the Profit & Loss account during the year.
7. **Inter Office Accounts / Government Accounts/ Suspense Accounts:** Inter Office transactions between branches, controlling offices and local head offices and corporate centre establishment have been reconciled upto 31st December 2007. Further, pipeline transitions in respect of foreign exchange, gold, currency transactions and Government transactions are under reconciliations. Steps for adjustment / elimination of outstanding entries are in progress. These balances are subject to reconciliation, the ultimate effect of which is not expected to be material.
8. **Additional contribution to Pension Fund:**
The parent's Pension Fund rules state that that the parent shall contribute 10% of salary to the Pension Fund. The Government of India, have advised the parent to contribute to the Pension Fund in accordance to the Fund rules. However, in order to comply with the Accounting Standard 15 (revised 2005) and to make adequate prudential provisions in accordance with the actuarial valuations, the parent has made an additional contribution of Rs. 546 crore (previous year Rs. 864 crore) to the Pension Fund during the financial year.

9. Intra-group balances and transactions of interest income, interest expenses, other incomes and other operating expenses are eliminated in full.

In case of following differences between the figures reported by the entities in respect of interest income, interest expenses, other incomes and other operating expenses, the higher of the amounts reported by different contracting entities are considered for elimination both from income and expenditure on the presumption of reporting errors by the reporting entities, without impacting the reported profit/loss and in respect of intra group balances, the figures reported by the contracting entities are considered as such and the differences are reflected as 'Inter Bank Adjustments':

Particulars	Item reported by entities (A)	Corresponding items reported by other entities (B)	Eliminated from income and expenditure (C)	Difference between reported figures D=(C-A)
Interest income	327	449	522	195
Interest expenses	449	327	522	73
Other income	93	135	183	90
Other expenditure	135	93	183	48

Particulars	Amount Eliminated as reported by respective contracting entities	Inter Bank Adjustment
Assets	10405	10385
Liabilities	10385	10405





10. स्टेट बैंक समूह द्वारा क्रय किए गए/बेचे गए विनिधानों से गैर वसूलीकृत प्राप्तियों को पूरा का पूरा छोड़ दिया गया है। तथापि - ऐसे मामलों में जहां अंतरण-प्राप्तकर्ता ने इस प्रकार के विनिधान को 'परिपक्वता के लिए रखे गए' श्रेणी में वर्गीकृत किया है - परिशोधन की गणना विनिधान के अंकित मूल्य और धारक की लागत में अंतर की गणना द्वारा निर्धारित की जाती है - और करते समय उक्त विनिधान के किसी अन्य श्रेणी में गणना को आधार नहीं बनाया जाता है। छोड़ दी जानेवाली गैर-वसूलीकृत प्राप्तियों पर इनके प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सका है।
11. कुछ अनुषंगियों द्वारा पालन की जा रही भिन्न प्रकार की लेखा-नीति के लिए समायोजन नहीं किया जा सका है। ऐसा सम्बंधित विनियामक अपेक्षाओं के कारण किया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित है।
- 11.1 ऐसे अग्रिम जो 180 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय हैं - उनकी ब्याज-आय को प्रोद्भवन आधार पर अभिज्ञान में लेना जबकि बैंक की नीति 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए है।
- 11.2 कार्ड व्यवसाय के संबंध में जारी करने के शुल्क/अन्य लेने देनों के शुल्क को उसी दिन अभिज्ञान में लिया गया है जिस दिन वे देय हुए हैं। जबकि बैंक की नीति उस आय को वसूली होने पर अभिज्ञान में लेने की है।
- भिन्न लेखा नीतियों को रु. 239.90 करोड़ राशि पर लागू किया गया है। इनका अस्तित्व, देयताओं और राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ा इसका अनुमान नहीं लगाया जा सका।
12. भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीबीओडी क्रमांक बीपी.बीसी. 42/21-01-02/2007-08 के निर्देशानुसार रिडीमेबल प्रिफरेंस शेयरों को देयता माना गया है और उन पर भुगतान किए जाने वाले कुपनों को ब्याज माना गया है।
13. आईसीएआइ द्वारा जारी सामान्य स्पष्टीकरणों को ध्यान में रखते हुए - समेकित वित्तीय विवरण की यथातथ्यता और उपयुक्तता पर कोई प्रभाव न होने के कारण उसमें - पैरेंट और अनुषंगियों के अलग वित्तीय विवरणों में उल्लिखित ऐसी सांविधिक सूचनाओं का यहां समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण नहीं किया गया है।
14. जहां भी आवश्यक और संभव था विगत वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों से तुल्य बनाने के लिए पुनर्समूहित और पुनर्वर्गीकृत किया गया है। ऐसे मामलों में जहां भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रकटीकरण पहली बार किए गए हैं - पिछले वर्ष के आंकड़ों का उल्लेख नहीं किया गया है।
10. In respect of intra group sale/purchase of investment, unrealised gains are fully eliminated. However, in case where such investments are classified by the transferee under 'Held to Maturity' category, the amortisation is calculated as the difference between the face value and cost of the transferee without considering the subsequent transfer of those securities into a different category. The impact of the same on the unrealised gains to be eliminated could not be ascertained.
11. No adjustments for divergent accounting policies followed by some of the subsidiaries have been made in respect of the following accounting policies as per their respective regulatory requirements:
- 11.1 Recognition of interest income on accrual basis in respect of advances, when the advances become overdue for more than 180 days as against the bank's policy of 90 days
- 11.2 Fees on issuance/ other transactions in respect of card business has been recognised as and when it become due as against the bank's policy of recognising such income on realisation basis.
- The total proportion for which different accounting policies have been applied aggregates to Rs. 239.90 Crore. The impact thereof on the assets, liabilities and revenues could not be unascertained.
12. In accordance with RBI circular DBOD NO.BP.BC.42/21.01.02/2007-08 redeemable preference shares are treated as liabilities and the coupon payable thereon is treated as interest.
13. Additional statutory information disclosed in separate financial statements of the parent and the subsidiaries having no bearing on the true and fair view of the consolidated financial statements and also the information pertaining to the items which are not material have not been disclosed in the consolidated financial statements in view of the general clarifications issued by ICAI.
14. Previous year's figures have been regrouped and reclassified, wherever necessary and determinable, to make them comparable with current year's figures. In cases where disclosures have been made for first time in terms of RBI guidelines, previous year figures have not been mentioned.

(ओम प्रकाश भट्ट)
(OM PRAKASH BHATT)
अध्यक्ष
Chairman

(एस. के. भट्टाचार्य)
(S. K. BHATTACHARYYA)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य ऋण
एवं जोखिम अधिकारी
Managing Director & Chief Credit
& Risk Officer
कोलकाता, 2 मई, 2008
Kolkata, 2nd May, 2008

कृते एम. एम. निस्सिम एंड कंपनी
For M. M. Nissim & Co.
सनदी लेखाकर
Chartered Accountants

(संजय खेमानी)
(SANJAY KHEMANI)
भागीदार
Partner
लेखा परीक्षक
Auditor

सदस्यता क्रमांक/Membership No. 44577





भारतीय स्टेट बैंक (समेकित) STATE BANK OF INDIA (CONSOLIDATED)

31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2008

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2008 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2008	31.3.2007 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2007
	₹. Rs.	₹. Rs.
क. परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES	(4209,41,26)	5134,13,70
ख. विनिधान कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES	(1642,44,22)	(965,36,66)
ग. वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES	22633,71,61	11010,35,22
घ. विनिमय घट-बढ़ नकदी प्रवाह		
D. CASH FLOW ON ACCOUNT OF EXCHANGE FLUCTUATION	(230,30,80)	(38,77,88)
नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल परिवर्तन		
NET CHANGE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS	16551,55,33	15140,34,38
ड. वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य -		
E. CASH AND CASH EQUIVALENTS - OPENING	72476,86,37	57336,51,99
ड. वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य -		
F. CASH AND CASH EQUIVALENTS - CLOSING	89028,41,70	72476,86,37
क. परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
कर पूर्व निवल लाभ Net Profit before taxes	13738,33,96	10556,71,73
समायोजन ADJUSTMENT FOR:		
मूल्यह्रास शुल्क Depreciation charge	1038,33,36	950,06,98
स्थिर आस्तियों के विक्रय पर (लाभ)/हानि (निवल) (Profit)/ Loss on sale of fixed assets (Net)	(10,70,83)	(12,53,21)
अलाभकारी आस्तियों के लिए प्रावधान Provision for NPAs	2804,04,68	1775,89,17
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान Provision for Standard Assets	773,21,03	945,42,27
भारत में निवेशों पर मूल्यह्रास Depreciation on Investments in India	103,94,12	834,46,66
भारत के बाहर निवेशों पर मूल्यह्रास Depreciation on Investments Outside India	84,24,05	3,51,26
अनुषंगियों/संयुक्त-उद्यमों के लिए प्रावधान Provision for investments in Sub./Joint venture	(35,02,60)	(8,49,43)
विनिधानों के विक्रय पर (लाभ)/हानि (निवल) (Profit)/Loss on sale of investments (Net)	(2780,60,20)	(971,11,05)
विनिधानों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि Loss on revaluation of investments	856,75,44	640,74,29
अन्य आस्तियों पर प्रावधान Provision on other assets	413,26,93	(29,56,03)
अन्य प्रावधान Other Provisions	197,29,16	58,91,63
वर्ष के दौरान अपलिखित आस्थगित राजस्व खर्च		
Deferred Revenue Expenditure written off during the year	(29,52,65)	13,28,03
बांडों पर संदत्त ब्याज (वित्तीय गतिविधि)		
Interest paid on Bonds (Financing Activity)	2384,62,06	1222,14,86
सहयोगियों से प्राप्त लाभांश/अर्जित आय (निवेश गतिविधि)		
Dividend/Earnings from Associates (Investing activity)	(211,00,17)	(195,59,27)
घटाएं : प्रत्यक्ष-कर Less : Direct Taxes	(5759,81,38)	(5433,95,45)
	13567,36,96	10349,92,44
समायोजन Adjustment for:		
जमाशियों में वृद्धि/(कमी) Increase/(Decrease) in Deposits	140143,64,19	92248,61,16
उधारशियों में वृद्धि/(कमी) Increase/(Decrease) in Borrowings	17361,33,99	11686,93,20
विनिधानों में (वृद्धि)/कमी (Increase)/Decrease in Investments	(55387,57,96)	11091,24,17
अग्रियों में (वृद्धि)/कमी (Increase)/Decrease in Advances	(118740,02,24)	(114585,61,77)



(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2008 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2008	31.3.2007 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2007
अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि/(कमी) Increase/(Decrease) in Other Liabilities & Provisions	19870,98,41	(5315,38,98)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी (Increase)/Decrease in Other Assets	(21025,14,61)	(341,56,52)
परिचालन कार्यकलापों से उपलब्ध निवल नकदी		
NET CASH PROVIDED BY OPERATING ACTIVITIES	(4209,41,26)	5134,13,70
ख. विनिधान कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों के विनिधानों में (वृद्धि)/कमी (Increase)/Decrease in Investments in Joint Ventures/Associates	(162,40,41)	(180,36,02)
ऐसे विनिधानों पर अर्जित आय Income earned on such Investments	211,00,17	195,59,27
अचल आस्तियों में (वृद्धि)/कमी (Increase)/Decrease in Fixed Assets	(1691,03,98)	(980,59,91)
विनिधान कार्यकलापों द्वारा उपलब्ध कराई गई निवल नकदी		
NET CASH PROVIDED BY INVESTING ACTIVITIES	(1642,44,22)	(965,36,66)
ग. वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
शेयर पूंजी Share Capital	105,17,15	—
शेयर प्रीमियम Share Premium	16588,39,42	—
टायर - 1 बांड निर्गम Issue of Tier I Bonds	1877,70,00	1972,40,00
अपर टायर - 2 बांड निर्गम Issue of Upper Tier II Bonds	7863,50,00	8156,34,72
गौण बांड निर्गम Issue of Subordinated Bonds	1226,60,00	3281,48,47
गौण बांड प्रतिसंदाय Repayment of Subordinated Bonds	(1755,26,00)	(285,00,00)
बांडों पर संदत्त ब्याज Interest Paid on Bonds	(2384,62,06)	(1222,14,86)
संदत्त लाभांश उस पर कर सहित Dividends Paid including tax thereon	(862,04,07)	(840,15,72)
अनुषंगियों द्वारा संदत्त लाभांश Dividends tax Paid by subsidiaries	(25,72,83)	(52,57,39)
वित्तीय गतिविधियों द्वारा प्रदत्त निवल नकदी		
NET CASH PROVIDED BY FINANCING ACTIVITIES	22633,71,61	11010,35,22
घ. विनिमय उतार-चढ़ाव के कारण नकदी प्रवाह		
D. CASH FLOWS ON ACCOUNT OF EXCHANGE FLUCTUATION		
विदेशी अनुषंगियों की आरक्षितियां Reserve of Foreign Subsidiaries	(101,13,57)	(38,77,88)
अन्य - विदेशी मुद्रा बांड का पुनर्मूल्यन Others - Revaluation of foreign currency Bonds	(129,17,23)	—
विनिमय उतार-चढ़ाव के कारण निवल नकदी प्रवाह Net Cashflows on A/C of Exchange Fluctuation	(230,30,80)	(38,77,88)



(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2008 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2008	31.3.2007 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2007
ड. वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य		
E. CASH AND CASH EQUIVALENTS - OPENING		
हाथ नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट तथा सोना सम्मिलित है) Cash in hand (including FC notes & gold)	3147,25,02	2519,44,10
भारतीय रिज़र्व बैंक में अथशेष Balances with Reserve Bank of India	41918,85,11	28609,34,47
बैंकों में अथशेष तथा मांग पर एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन Balances with Banks & MACSN	27410,76,24	26207,73,42
योग TOTAL	72476,86,37	57336,51,99
च. वर्ष की समाप्ति पर नकदी एवं नकदी समतुल्य		
F. CASH AND CASH EQUIVALENTS - CLOSING		
हाथ नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट तथा सोना सम्मिलित है) Cash in hand (including FC notes & gold)	3791,06,09	3147,25,02
भारतीय रिज़र्व बैंक में अथशेष Balances with Reserve Bank of India	71026,19,45	41918,85,11
बैंकों में अथशेष तथा मांग पर एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन Balances with Banks & MACSN	14211,16,16	27410,76,24
योग TOTAL	89028,41,70	72476,86,37





समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट

AUDITOR'S REPORT ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

भारतीय स्टेट बैंक के निदेशक बोर्ड को

1. हमने भारतीय स्टेट बैंक (इस बैंक), इसकी अनुषंगियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों (इस समूह) की 31 मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र और उसी तारीख को समाप्त समेकित लाभ एवं हानि खाता तथा समेकित नकदी प्रवाह विवरण का परीक्षण किया है इनमें :

- हमारे सहित 14 संयुक्त लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित बैंक खाते,
- अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 25 अनुषंगियों, 28 सहयोगियों और 2 संयुक्त उद्यमों के खाते,
- 2 अनुषंगियों के अलेखापरीक्षित खाते शामिल हैं।

ये वित्तीय विवरण बैंक प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं और ये अलग अलग वित्तीय विवरणों और इसके घटकों के संबंध में अन्य वित्तीय जानकारी के आधार पर प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए हैं। हमारी जिम्मेदारी, अपने लेखा-परीक्षा कार्य के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना अभिमत प्रस्तुत करना है।

2. हमने अपना लेखा-परीक्षा-कार्य भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा-परीक्षा मानकों के आधार पर किया है। इन मानकों के अंतर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि हम अपनी लेखा-परीक्षा की योजना इस प्रकार बनाएं और उसे इस प्रकार निष्पादित करें, जिससे हम समुचित रूप से इस बारे में आश्वस्त हो जाएं कि वित्तीय विवरण हर तरह से निर्धारित रिपोर्टिंग ढाँचे के अनुसार तैयार किए गए हैं, इसमें विषय - वस्तु संबंधी कोई गलत विवरण नहीं दिए गए हैं। लेखा-परीक्षा में राशि के समर्थन और वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण संबंधी साक्ष्यों की नमूना-परीक्षण आधार पर जाँच सम्मिलित हैं। लेखा-परीक्षा के अंतर्गत प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखा-सिद्धांतों तथा प्रमुख आकलनों का निर्धारण तथा समग्र वित्तीय विवरण की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी किया जाता है। हमें विश्वास है कि हमारा लेखा-परीक्षा कार्य हमारे अभिमत के लिए एक समुचित आधार प्रदान करता है।

3. हमने 13 अन्य संयुक्त लेखा परीक्षकों के साथ बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा की है, जिसके वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2008 को 7,21,526 करोड़ रुपये की कुल आस्तियाँ और

TO THE BOARD OF DIRECTORS STATE BANK OF INDIA

1. We have examined the attached Consolidated Balance Sheet of State Bank of India (the Bank) and its subsidiaries, associates and joint ventures (the Group) as at 31st March 2008, and the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended in which are incorporated the :

- Audited accounts of the Bank audited by 14 Joint Auditors including us,
- Audited accounts of 25 subsidiaries, 28 associates and 2 joint ventures audited by other auditors,
- Unaudited accounts of 2 subsidiaries.

These financial statements are the responsibility of the bank's management and have been prepared by the management on the basis of separate financial statements and other financial information regarding components. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. We conducted our audit in accordance with generally accepted auditing standards in India. These Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are prepared, in all material aspects in accordance with identified reporting framework and free of material misstatements. An audit includes, examining on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

3. We have jointly audited the financial statements of the bank along with 13 other joint auditors, whose financial statements reflects total assets of Rs. 7,21,526 Crore as at 31st March 2008, and total revenue of Rs. 57,645 Crore and net





- 57,645 करोड़ रुपये की कुल आय और इसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए रु. 15,716 करोड़ की राशि के निवल नकदी प्रवाह को दिखाया गया है।
4. हमने इनकी अनुषंगियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की, जिनमें 31 मार्च 2008 को रु. 3,14,924 करोड़ की कुल आस्तियाँ रु. 32,965 करोड़ की कुल आय और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए रु. 4,598 करोड़ के निवल नकदी प्रवाह दिखाए गए हैं। इन वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई हैं और जहां तक अन्य इकाइयों के संबंध में शामिल राशियों का सवाल है, उनके बारे में हमारा अभिमत पूर्ण रूप से अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर आधारित है।
5. हमने कतिपय अनुषंगियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों, जिनमें 31 मार्च 2008 को रु. 4,610 करोड़ की कुल आस्तियाँ, रु. 284 करोड़ की कुल आय और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के रु. 146 करोड़ के निवल नकदी प्रवाह प्रदर्शित किए गए हैं, को भी अपनी लेखा परीक्षा में शामिल किया है।
6. हम रिपोर्ट करते हैं कि समेकित वित्तीय विवरणों को, बैंक प्रबंधन द्वारा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक-21 समेकित वित्तीय विवरण, लेखा मानक-23 समेकित वित्तीय विवरण में, सहयोगियों में निवेश का लेखा और लेखा मानक-27 - संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षाओं के अनुसार निम्नलिखित आधार पर तैयार किया गया है
- बैंक के लेखा परीक्षित खाते,
 - 25 अनुषंगियों, 28 सहयोगियों और 2 संयुक्त उद्यमों के लेखा परीक्षित खाते, और
 - 2 अनुषंगियों के अलेखापरीक्षित खाते
- जो समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किए गए हैं।
7. हम अपने निःशर्त अभिमत के साथ वित्तीय विवरण की अनुसूची 18 की टिप्पणी सं. 8 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं। मूल कंपनी ने एएस 15 (संशोधित) के प्रावधानों के अनुपालन में पेंशन निधि में वर्ष के दौरान रु. 546 करोड़ का अतिरिक्त अंशदान किया है जो भारत सरकार द्वारा जारी निदेशानुसार नहीं है क्योंकि यह अंशदान करने के पूर्व एएसबीआइ पेंशन नियमावली 1955 में कोई संशोधन नहीं किए गए हैं।
- cash flows amounting to Rs. 15,716 Crore for the year then ended.
4. We did not audit the financial statements of its subsidiaries, associates and joint ventures whose financial statements reflect total assets of Rs. 3,14,924 Crore as at 31st March 2008, and total revenue of Rs. 32,965 Crore and net cash flows amounting to Rs. 4,598 Crore for the year then ended. These financial statements have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion, insofar as it relates to the amounts included in respect of other entities, are based solely on the report of the other auditors.
5. We have also relied on the un-audited financial statements of certain subsidiaries, associates and joint ventures, whose financial statements reflect total assets of Rs. 4,610 Crore as at 31st March 2008, total revenue of Rs. 284 Crore and net cash flows amounting to Rs. 146 Crore for the year then ended.
6. We report that the consolidated financial statements have been prepared by the Bank's management in accordance with the requirement of Accounting Standard 21 - Consolidated Financial Statements, Accounting Standard 23 - Accounting for investment in Associates in Consolidated Financial Statements and Accounting Standard 27 - Financial Reporting of Interest in Joint Ventures issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the requirements of Reserve Bank of India and on the basis of the separate
- audited accounts of the Bank,
 - audited accounts of 25 subsidiaries, 28 associates and 2 joint ventures audited by other auditors, and
 - Unaudited accounts of 2 subsidiaries included in the consolidated financial statements.
7. Without qualifying our opinion, we draw attention to note no. 8 of schedule 18 to the financial statement. The parent has made additional contribution of Rs.546 Crore during the year towards pension fund to comply with the provisions of AS 15 (revised) which is not in accordance with the directors issued by Government of India, to the extent that no amendments have been made to the SBI Pension Rules, 1955 before making such contribution.





8. निम्नलिखित की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है :
1. अंतः समूह जमाशेष, लेन देन और अवसूल लाभों और उनके अधित्याग की प्रणाली से संबंधित अनुसूची 18 में टिप्पणी सं. 9 और 10। ऐसा नहीं है कि जमा शेष और आय पर उसके प्रभाव को ज्ञात नहीं किया जा सके।
 2. कुछ अनुषंगियों की विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप उनकी लेखाकरण नीतियों के संबंध में उनके द्वारा भिन्न भिन्न लेखाकरण नीतियों के लिए समायोजन न किए जाने के संबंध में अनुसूची 18 में टिप्पणी सं. 11। ऐसा नहीं है कि आस्तियों, देयताओं और आय पर उसके प्रभाव को ज्ञात न किया जा सके।
9. अपनी लेखा परीक्षा और भिन्न-भिन्न वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट अलेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों और उसके घटकों की अन्य वित्तीय जानकारी पर विचार करने पर तथा हमें प्रदान की गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर हमारा विचार है कि संलग्न समेकित वित्तीय विवरण - भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा-परीक्षा सिद्धांतों के अनुरूप उपर्युक्त अनुच्छेद 8 (i) और 8 (ii) के अध्यक्षीन सही एवं निर्दोष चित्र प्रस्तुत करता है जो क्रमशः अंतः समूह जमाशेष, लेन देन, अवसूल लाभ में विसंगतियों और भिन्न भिन्न लेखाकरण नीतियों के असमायोजन से संबंधित है जिसका आस्तियों, देयताओं और आय पर प्रभाव ज्ञात किया जा सकता था।
- क) 31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लिए समूह की स्थिति के संबंध में समेकित तुलन पत्र।
- ख) इसी समय समाप्त वर्ष के लिए समूह के समेकित लाभ और हानि खाते में समेकित लाभ के संबंध में।
- ग) इसी समय समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण में समूह का नकदी प्रवाह।

कृते एम. एम. निस्सिम एंड कं. (पंजीकृत)
सनदी लेखाकार
संजय खेमानी
(भागीदार)
सदस्यता क्रमांक : 44577

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 2 मई 2008

8. Attention is drawn to:
- i. note nos. 9 and 10 in Schedule 18 regarding discrepancies in the intra group balances, transactions and unrealised gains and the method of elimination thereof. The impact thereof on the balances and revenues could not be unascertained.
 - ii. note no. 11 in Schedule 18 regarding adjustments not made for divergent accounting policies followed by some of the subsidiaries in respect of some of the accounting policies which are as per their respective regulatory requirements. The impact thereof on the assets, liabilities and revenues could not be unascertained.
9. Based on our audit and consideration of report of other auditors on separate financial statements and on consideration of the unaudited financial statements and on the other financial information of the components, and to the best of our information and explanations given to us we are of the opinion that the attached Consolidated Financial Statements, subject to para 8 (i) above relating to discrepancies in the intra group balances, transactions, unrealised gains and 8 (ii) above relating to non adjustment of divergent accounting policies, the impact of which on assets, liabilities and revenues could be ascertained, give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:
- a. in the case of the Consolidated Balance Sheet on the state of affairs of the Group as at 31st March 2008;
 - b. in the case of the Consolidated Profit and Loss account of the consolidated profits of the Group for the year ended on that date; and
 - c. in the case of the Consolidated Cash Flow Statement of the Cash Flows of the Group for the year ended on that date.

For M. M. Nissim & Co.
Chartered Accountants
Sanjay Khemani
(Partner)
Membership No. : 44577

Place : Kolkata
Dated : 2nd May 2008

